खण्ड - III

आयोजना परिव्यय 2013-2014

इस भाग में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु 2013-14 के केन्द्रीय आयोजना परिव्यय का ब्यौरा दिया गया है। टिप्पणियों में वास्तविक लक्ष्यों, जहां कहीं भी दिए गए हों, में बजटीय सहायता तथा आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन (आं.ब.बा.सं.) दोनों शामिल हैं। विवरण 12 में मंत्रालय/विभाग-वार आयोजना परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 13 में विभिन्न क्षेत्रों के तहत विकास-क्षेत्रों और विकास-शीर्षों द्वारा केन्द्रीय आयोजना-परिव्यय दर्शाया गया है। विवरण 14 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में आयोजना निवेश दर्शाया गया है। विवरण 15 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के संसाधन दिए गए हैं। विवरण 16 में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दर्शाई गई है। विवरण 17 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आयोजना अनुदान और ऋण दिए गए हैं। विवरण 18 में राज्य/जिला स्तर के स्वायत्तशासी निकायों/कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय आयोजना सहायता के प्रत्यक्ष अन्तरण के लिए प्रावधान दिया गया है। विवरण 19 केन्द्रीय आयोजना में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए और राज्यों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जिसमें अनुमानित अंतर्प्रवाह 100 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, का परियोजनावार ब्यौरा दर्शाता है। विवरण 20 लिंग आधारित स्कीमों के लिए परिव्यय और विवरण 21 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास के लिए परिव्यय दर्शाता है। विवरण 22 में बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट प्रावधान दर्शाए गए हैं।

2012-2013 के परिव्यय की तुलना में 2013-14 का आयोजना परिव्यय व्यवस्था इस प्रकार हैः

(₹ करोड़)

	वास्तविक आंकड़े 2011-12	बजट अनुमान 2012-2013	संशोधित अनुमान 2012-2013	बजट अनुमान 2013-2014
केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता	308359.38	391027.00	317184.62	419068.00
सरकारी उद्यमों के आन्तरिक और बजट बाह्य संसाधन	200236.68	260482.25	238991.86	261055.39
केन्द्रीय आयोजना परिव्यय	**508596.06**	**651509.25**	**556176.48**	**680123.39**
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	**104015.90**	**129998.00**	**112002.42**	**136254.00**

कृषि और संबद्ध कार्य

फसल कार्य : कृषि जिंसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यनीति विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर बल देती है। फसल कार्य के अधीन कार्यक्रमों के लिए परिव्यय 19798.04 करोड़ रुपए है जिसमें राज्य आयोजना स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीआई) के लिए किया गया 9954.00 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल है। पुनर्गठित स्कीमों के लिए भी प्रत्येक को 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक आवंटन का प्रस्ताव किया गया हैः आर्थात् राष्ट्रीय कृषि विस्तार उप मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप मिशन, राष्ट्रीय कृषि तंत्र उप मिशन, समेकित कृषि जनगणना और सांख्यिकी मिशन, समेकित कृषि विपणन और समेकित कृषि सहकारिता, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु (पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़कर) आवंटन 2025 करोड़ रुपए किया गया है। समेकित तिलहन, ऑयल पाम, दाल और मक्का विकास (475 करोड़ रुपए) पौध संरक्षण (88.13 करोड़ रुपए), बीज (217 करोड़ रुपए), उर्वरक (45 करोड़ रुपए) कृषि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी (233 करोड़ रुपए), फसल बीमा (2151 करोड़ रुपए) बागवानी क्रियाकलाप (राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए और लघु सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन हेतु 1659.01 करोड़ रुपए शामिल है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई): इसे 2007-08 के दौरान राज्य योजना स्कीम के रूप में शुरु किया गया था। यह योजना उनकी राज्य आयोजनाओं में अतिरिक्त महत्वपूर्ण अंतरालों को पाटने के लिए राज्यों के बुनियादी व्यय के अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है। बजट 2013-14 में 9954.00 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था के साथ दो नए संघटकों को जिन्हें आरकेवीवाई के भाग के रूप में प्रारम्भ किया जाएगा, 2010-11 में अनुमोदित किया गया था, अर्थात् (i) वर्षापोषित क्षेत्रों में सहायक कार्यक्रमों के बतौर चुनिंदा दलहन/तिलहन उत्पादक गांवों में दलहन तथा तिलहन विकास हेतु विशेष पहल। यह पहल विशिष्ट रूप से वर्षापोषित क्षेत्रों में लक्षित होगी तथा इसे तिलहन तथा दलहन से सम्बद्ध कार्यक्रमों में अपनाए जाने वाले मानदण्डों के समान ही कार्यान्वित किया जाएगा, और (ii) पूर्वी भारत में कृषि में उपज अन्तर को पाटने की योजना इन नए उप घटकों को कृषि और सहकारिता विभाग राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण और योजना आयोग सहित भारत सरकार के परामर्श से तैयार किया जाएगा और वे अनुमोदित आरकेवीवाई की प्रक्रिया के भाग होंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में केसर के लिए भी प्रावधान किया गया है।

मृदा और जल संरक्षण : इस शीर्ष के अधीन परिव्यय 19.00 करोड़ रुपए है, जो अखिल भारतीय मृदा और भूमि प्रयोग सर्वेक्षण के लिए है।

सहकारिता : इस शीर्ष के अन्तर्गत 121.50 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, विकासात्मक कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से सहायता, भूमि विकास बैंकों को ऋण प्रदान करने के लिए है। समेकित कृषि सहाकारिता स्कीम के लिए 1.00 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान भी किया गया है।

अन्य कृषि कार्यक्रम : इस शीर्ष हेतु परिव्यय 647.09 करोड़ रुपए है जोकि कृषि विपणन योजनाओं यथा ग्रामीण गोदामों के निर्माण (313.09 करोड़ रुपए), विपणन अवसंरचना के ग्रेडिंग विकास (225.00 करोड़ रुपए), लघु किसान कृषि व्यापार संघ (99.00 करोड़ रुपए) विपणन अनुसंधान सर्वेक्षण और विपणन सूचना नेटवर्क आदि के लिए है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र - पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 1005.50 करोड़ रुपए मुहैया कराया गया है।

पशुपालन : पशुधन विकास हेतु 1005.50 करोड़ रुपए का परिव्यय है। सामान्यतः पशुधन के विकास के तीन उद्देश्य हैं, अर्थात् बढ़ती जनसंख्या के लिए पर्याप्त पशु प्रोटीन उपलब्ध कराना; कृषि उत्पादन की वृद्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त पशुशक्ति उपलब्ध कराना तथा पशु रोगों का नियंत्रण। जिसमें 91.50 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल हैं।

डेरी विकास : 580.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतया सघन विकास परियोजना; सहकारी समितियों को सहायता; गुणवत्तापूर्ण एवं स्वच्छ दुग्ध एवं डेयरी उद्यम विकास और राष्ट्रीय डेयरी योजना के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए है जिसमें 55.30 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं।

मत्स्य पालन : 371.50 करोड़ रुपए का परिव्यय मृदु जल एवं खारा जल मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने, मछली बंदरगाहों एवं लैंडिंग केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान करने, समुद्री मत्स्य पालन विकास, मछुआरों के कल्याण, डाटा बेस एवं सूचना नेटवर्क प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं मत्स्य पालन संस्थानों तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड को सहायता प्रदान करने के लिए है जिसमें 54.20 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए हैं।

वानिकी और वन्य जीव : पर्यावरण और वन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 2430.00 करोड़ रुपए है। 1198.44 करोड़ रुपए की राशि पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के लिए आबंटित किया गया है। जिसमें अन्य बातों के अलावा राष्ट्रीय नदी संरक्षण हेतु 187.25 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जलीय प्रास्थिति प्रणाली

संरक्षण आयोजना हेतु 70.50 करोड़ रुपए शामिल है। राष्ट्रीय गंगा नदी-बेसिन प्राधिकरण हेतु 355.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 1041.32 करोड़ रुपए की राशि वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए अभिनिश्चित की गई है। और इसमें राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम के लिए 318.15 करोड़ रुपए; नए शुरु किए गए हरित भारत मिशन हेतु 100 करोड़ रुपए, वन प्रबंधन स्कीम को सघन बनाने के लिए 68.25 करोड़ रुपए, समेकित वन्य जीव बसाव विकास के लिए 78.50 करोड़ रुपए, पशु कल्याण के लिए 25.20 करोड़ रुपए; प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के लिए 182.02 करोड़ रुपए; सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 190.25 करोड़ रुपए, एससीएपी के लिए 53.46 करोड़ रुपए, मंत्रालय के आयोजना बजट के अधीन टीएसपी हेतु 16.00 करोड़ रुपए शामिल है।

कृषि अनुसंधान और शिक्षा : कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष वैज्ञानिक संगठन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के माध्यम से कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के लिए उत्तरदायी है। प्रावधान के मुख्य संघटक गुणवत्ता वाले बीजों में कृषि अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना, अधिक उपज देने वाली किस्मों/वर्णसंकर किस्म के बीजों का विकास, जैव-प्रौद्योगिकी को लागू करना, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान, संसाधनों का संरक्षण, निविष्टि उपयोग क्षमता, जैविक खेती के लिए प्रौद्योगिकी सृजन, प्रतिरक्षीकरण और नैदानिक एवं जेंडर संबंधी विषयों को सुदृढ़ बनाना है। इस क्षेत्र के लिए वर्ष 2013-14 के दौरान 3415.00 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय है। इसमें से 2215 करोड़ रुपए फसल पालन के लिए है। जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 107.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 67.00 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। 400.00 करोड़ रुपए राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी पहल परियोजना (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 15.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 17.00 करोड़ रुपए शामिल है)। मृदा तथा जल संरक्षण के लिए 20.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 45.00 तथा टीएसपी के लि 27.00 करोड़ रुपए शामिल हैं)। 90.00 करोड़ रुपए जलवायु रेसीलेंट कृषि पहल, (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10.00 करोड़ रुपए हैं), पशुपालन के लिए 225.00 करोड़ रुपए जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 20.00 करोड़ रुपए तथा टीएसपी के लिए 10.00 करोड़ रुपए शामिल हैं, 85.00 करोड़ रुपए मात्स्यिकी (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 2.00 करोड़ रुपए शामिल है), 100.00 करोड़ रुपए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू) इम्फाल, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत बारापानी सीएयू के लिए 1.00 करोड़ रुपए, 20.00 करोड़ रुपए, सीएयू बुंदेलखंड तथा 30.00 करोड़ रुपए सीएयू बिहार के लिए दिया गया है।

खाद्य भंडारण और भांडागारण : खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद और उनका संवितरण करने के लिए स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। समाज के कमजोर और जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वर्ष 2013-14 में 2.00 करोड़ रुपए के परिव्यय से (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 0.20 करोड़ रुपए और जनजाति उप योजना हेतु 0.28 करोड़ रुपए सहित) ग्रामीण खाद्यान्न बैंकों की स्थापना करने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा "गोदामों का निर्माण" योजना हेतु वर्ष 2012-13 में 45.00 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और नए उभरते हुए प्रमुख अधि-प्राप्ति वाले राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी।

वर्ष 2012-13 के दौरान 202.10 करोड़ रुपए के परिव्यय से "खाद्यान्न प्रबन्धन के लिए मूल्यांकन, मानीटरिंग और अनुसंधान तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का सुदृढ़ीकरण" नामक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इसमें पीडीएस प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 200.00 करोड़ रुपए तथा पीडीएस के सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण हेतु 2.10 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्पयूटरीकरण के लिए स्कीम राशन कार्ड आंकड़धार को डिजीटल करने, आपूर्ति श्रृंखला का कम्प्यूटरीकरण करने, उचित मूल्य की दुकान का स्वचलन और पारदर्शिता तथा शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक वितरण का पुनरुद्धार और सुदृढ़ करने हेतु चलाई जा रही है। टीपीडीएस को सुदृढ़ बनाने के लिए उसके कम्प्यूटरीकरण की योजना कार्यान्वित की जा रही है। टीपीडीएस के लिए खाद्यान्नों की चोरी और अपवर्तन रोकने और टीपीडीएस लाभार्थियों में उनकी हकदारिता और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरुकता पैदा करने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा विभिन्न विकास योजनाएं चलाए जाने के लिए प्रावधान किया गया है। भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण हेतु प्रावधान किए गए हैं। केंद्रीय भाण्डागारण निगम (सीडब्ल्यूसी) ने 2013-14 के दौरान कुल 145.38 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 213760 लाख मी. टन की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। सीडब्ल्यूसी ने राज्य भाण्डागारण निगमों को उनकी भाण्डागारण क्षमता बढ़ाने के लिए 7.94 करोड़ रुपए के बराबर शेयर पूंजी के समतुल्य अंशदान मुहैया कराने का भी प्रस्ताव किया है।

नई आयोजना स्कीम, गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ करने का विलय दो मौजूदा स्कीमों में किया जा रहा है- सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ करना, क्षमता विकास और परामर्श, प्रशिक्षण और अनुसंधान/ राष्ट्रीय खाद्य निगम स्थापित करने के लिए भी प्रावधान किया गया है। इन स्कीमों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उचित क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी। आयोजना स्कीम - गुणवत्ता नियंत्रण का सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य अधिप्राप्ति, भण्डारण और देश भर में वितरण के दौरान खाद्यानों की गुणवत्ता की निगरानी करना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग का वर्ष 2013-14 के लिए निधि आवंटन 708.00 करोड़ रुपए है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सभी तीन घटकों अर्थात् मेगा फूड पार्क, शीत श्रृंखला, मूल्यवर्धन और संरक्षण तथा बूचड़खानों का आधुनिकीकरण के तहत आवंटन में बढ़ोत्तरी की गई ताकि इन योजनाओं के निष्पादन के स्तर में सुधार लाया जा सके।

मंत्रालय ने नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अर्थात "राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन" वर्ष 2012-13 के दौरान शुरु की है ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और स्कीमों का क्रियान्वयन विकेन्द्रीकृत हो। मिशन के अन्तर्गत गतिविधियों को 2013-14 में ओर अधिक गति मिलेगी। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन, जो डि-नोवो श्रेणी के तहत एक मानद विश्वविद्यालय है, को उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसका पूर्ण निधियन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास विभाग का 2013-14 के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 74429.00 करोड़ रुपए है। केंद्रीय आयोजना परिव्यय के मुख्य संघटक ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण आवास और सड़कें तथा पुल हैं।

ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम : वर्ष 2013-14 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) /आजीविका के लिए परिव्यय 4000.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम हेतु 341.00 करोड़ रुपए शामिल है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की पुनर्संरचना एनआरएलएम के रूप में जून 2010 मे की गई ताकि परिणामों के लक्षित एवं समयबद्ध प्रदायगी हेतु चरणबद्ध तरीके से मिशन मोड में क्रियान्वित की जा सके। एनआरएलएम को अब "आजिविका" के रूप में नया नाम दिया गया। आजिविका बनाम स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के तहत दो मुख्य कार्यनीतियां आई, जो हैं (i) आजीविका मांग आधारित कार्यक्रम होगा और राज्य अपने पिछले अनुभव, संसाधन और कौशल आधार पर इसके अंतर्गत अपनी गरीबी कम करने की कार्य योजना बनाएंगे और (ii) आजीविका विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय से उप-जिला स्तर के लिए कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु व्यावसायिक सहायता संरचना मुहैया कराएगी।

आजीविका के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के गठन के माध्यम से वैश्विक सामाजिक प्रेरणा से यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक ग्रामीण बीपीएल परिवार का कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः परिवार की महिला सदस्या को स्व-सहायता समूह के नेट में लाया जाएगा। मजबूत लोक संस्थाओं के गठन की दृष्टि से आजीविका ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक स्व-सहायता समूहों के संघ बनाने पर बल देगी। वैश्विक वित्तीय समावेशन का लक्ष्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्व सहायता समूहों को बैंकों के साथ जोड़ने से अधिक बढ़ेगा। आजीविका के अंतर्गत सामुदायिक संस्थाओं और कार्यक्रम क्रियान्यवन में रत कार्मिकों तथा बैंकरों, पंचायती राज संस्था के कर्मचारियों आदि के क्षमता विकास और प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है। खपत और आयोत्पादक की परिकल्पना की गई है। खपत और आयोत्पादक क्रियाकलाप करने दोनों के अर्थ में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति स्व-सहायता समूह 10,000 रुपए से 15,000 रुपए तक परिक्रमी निधि प्रदान की जाती है। बैंकों को तुरंत ऋण की पुर्नअदायगी हेतु स्व-सहायता समूहों को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। 7% और मुख्य उधार दर के बीच प्रति परिवार 1 लाख रुपए तक की सीमा तक बैंकों से लिए गए ऋण के लिए गरीब परिवार को अन्तर प्रदान किया जाएगा।

आजीविका के अंतर्गत दूसरी स्कीम ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना है; जो देश के प्रत्येक जिले में एक-एक होगा; जिसके

अंतर्गत सूक्ष्म एवं दिहाड़ी रोजगार करने हेतु ग्रामीण बीपीएल युवकों को बुनियादी और कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। आजीविका के अंतर्गत नियोजन सहबद्ध कौशल विकास और अभिनव विशेष पिरियोजनाओं के लिए 20% निधि उपलब्ध है। कौशल विकास हेतु प्रत्येक विशेष परियोजना का उद्देश्य नियोजन सुनिश्चित करने वाली नियमित दिहाड़ी रोजगार के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को अधिक संख्या में गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए समयबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करना है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय "जम्मू कश्मीर में कौशल अधिकारिता और रोजगार "हिमायत" नामक एक नई स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इसमें आगामी पांच वर्षों में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से एक लाख युवकों को शामिल करने की परिकल्पाना की गई है। इसमें विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि के सभी युवकों को शामिल किया जाएगा अर्थात स्कूल छोड़ चुके, अंडर ग्रेजुएट आदि। 70% निधि का उपयोग मजदूरी वाले रोजगार में किया जाएगा और शेष 30% का स्व-रोजगार में यह सौ प्रतिशत केन्द्रीय सहायता की स्कीम है। आजीविका के उप संघटक के रूप में नई योजना महिला कृषि सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) महिला किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति तथा ग्रामीण महिला किसानों मुख्यतः छोटे और सीमान्त किसानों की सामाजिक - आर्थिक तथा तकनीकी अधिकारिता प्राप्त करने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) नामक नई योजना आरम्भ की है।

ग्रामीण रोजगार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए 2013-14 का केन्द्रीय परिव्यय 33000 करोड़ रुपए है। मनरेगा भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 02.02.2006 से निष्पादित किया जा रहा है और जिसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए जिसके वयस्क सदस्य स्वैच्छिक तौर पर अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, 100 दिनों की मजदूरी के रूप में रोजगार प्राप्त करने की कानूनी गारंटी प्रदान करने की व्यवस्था है। आरंभ में इसका क्रियान्वयन देश के 200 अति पिछड़े जिलों में किया गया, इस कार्यक्रम का विस्तार बाद में दो चरणों में किया गया ताकि पूरे देश को इसमें शामिल किया जा सके।

मनरेगा में स्थायी तथा उत्पादक परिसम्पत्तियों के निर्माण की व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक तथा पारिस्थितिकी विकास में सहयोग देगा। परिसंपत्ति के सृजन के उद्देश्य में स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा गया है। इसके लिए कार्य स्थल पर सामुदायिक भागीदारी विभागीय संकेन्द्रण की आवश्यकता है।

जमीनी स्तर पर सरकारी व्यय में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय ने मनरेगा लेखा परीक्षा नियम, 2011 अधिसूचित किया है जिसके तहत मनरेगा के अन्तर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें प्रत्येक छह माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामाजिक लेखा परीक्षा करने की व्यवस्था है।

वर्ष में एक बार कृषि श्रमिकों के लिए उपभोग मूल्य सूचकांक के आधार पर मजदूरी दर में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया है। तदनुसार 23.3.2012 की अधिसूचना द्वारा 2012 में मजदूरी में संशोधन किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2012 से लागू हुई।

मनरेगा और एनएसएपी के लाभार्थियों को लाभ का इलेक्ट्रोनिक अंतरण संबंधी सभी क्रियान्वयन मुद्दों की जांच करने के लिए सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। मनरेगा के प्रचलनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया। संशोधित मनरेगा प्रचलानात्मक दिशानिर्देश 2013 का चौथा संस्करण 2 फरवरी, 2013 को जारी किया गया।

पिछड़े जिलों पर विशेष जोर दिया गया जो भारत सरकार की समेकित कार्य योजना में शामिल किए गए हैं। ऐसे समेकित कार्य योजना में मनरेगा के कामगारों को समय पर मजदूरी की भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में नकद भुगतान की अनुमति दी गई जहां बैंकों/डाक घरों की पहुँच कम है। मनरेगा के अंतर्गत क्रीड़ा क्षेत्रों और आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले एक अनुमेय क्रियाकलाप के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रत्येक लाभ अंतरण के लिए सरकार द्वारा लिए गए 51 जिलों में से आधार समर्थित मजदूरी का भुगतान 46 ग्रामीण जिलों में प्रायोगिक आधार पर किया जा रहा है।

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 216.34 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजित किया गया जबकि 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) 140.66 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया। 2012-13 (दिसंबर 2012 तक) के दौरान कुल रोजगार सृजन में अनु. जाति और अनु. जन जाति की भागीदारी क्रमशः 22% और 16% थी, जबकि कुल रोजगार सृजन का 22% और 18% वर्ष 2011-12 के दौरान क्रमशः अनु. जाति और अनु जनजाति के लिए था।

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमः वर्ष 2013-14 के लिए कुल आयोजना परिव्यय 545.00 करोड़ रुपए का है जिसमें डीआरडीए के प्रशासन के लिए (250.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान एनआईआरडी (50.00 करोड़ रुपए), कापार्ट (15.00 करोड़ रुपए), ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पूरा) (50.00 करोड़ रुपए) और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और जिला नियोजन प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण (120.00 करोड़ रुपए) बीपीएल सर्वेक्षण के लिए (59.00 करोड़ रुपए) और फलेक्सी निधि 1.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसमें से, "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 48.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

डीआरडीए प्रशासन स्कीम का उद्देश्य डीआरडीए को सुदृढ़ बनाना और इन्हें अधिक व्यावसायिक तथा प्रभावी बनाना है। इसे एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में देखा जाता है जो एक ओर मंत्रालय के गरीबी-रोधी कार्यक्रमों का प्रबंधन करने में समर्थ होगी तो दूसरी ओर जिलों में गरीबी उन्मूलन के समग्र प्रयास इससे कारगर तरीके से सम्बद्ध होंगे। इस कार्यक्रम का निधियन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 आधार पर और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 90:10 के आधार पर किया जाता है। दिशा निर्देशों के अनुसार डीआरडीए को प्रत्यक्ष रूप से दो किस्तों में निधियां निर्मुक्त की जाती हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केंद्र 100 प्रतिशत निधियां मुहैया कराता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए शीर्ष निकाय है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के विकासात्मक मुद्दों और पंचायती राज के कार्यकर्ताओं के क्षमता निर्माण संबंधी पाठ्यक्रम आयोजित करना एनआईआरडी के मुख्य विषय हैं।

लोक कार्य और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद का लक्ष्य विकास कार्यक्रमों तथा आवश्यकता आधारित अभिनव परिवर्तन के क्रियान्वयन में गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों के जरिए लोगों को शामिल करना है। कपार्ट अधिक सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अवरोधों को कम करने और ग्रामीण जनता को सशक्त करके ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन जागरण सृजित करने के लिए कार्य करता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान का लक्ष्य गावों से शहरों में पलायन रोकने के लिए उनकी विकास क्षमता बढ़ाने हेतु अभिचिन्हांकित ग्रामीण समूहों में भौतिक और सामाजिक अवसंरचना में अन्तर को पाटना है।

"ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधकीय सहायता और जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण योजना" का लक्ष्य उचित आयोजना, समन्वयन और क्रियान्वयन, प्रशिक्षण और कौशल विकास, लक्षित समूहों के बीच जागरुकता लाना, प्रभावी मानीटरिंग और मूल्यांकन के लिए व्यापक पद्धति विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्तराष्ट्रीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकता पूरी करना है।

बीपीएल सर्वेक्षण राज्यों को बीपीएल सर्वेक्षण करने के लिए सहायता मुहैया करने हेतु 59.00 करोड़ रुपए है ताकि इस मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित लाभों के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की पहचान की जा सके। चूंकि राज्यों की विभिन्न आवश्यकताएं हैं, प्राथमिकताएं और विकास के स्तर "वन साइज फिट ऑल" सीएसएस का मॉडल इन स्कीमों में अंतर राज्य विभिन्नता को परिलक्षित करने की अनुमति नहीं देता है। इसके मद्देनजर स्कीमों की संरचना में अधिक लचीलापन की आवश्यकता राज्यों को विकासात्मक और निवेश संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपनी क्षमता का समाधान करने के लिए परियोजनाएं/स्कीमें तैयार करने की स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है। अतः फ्लेक्सी निधि का समग्र संकेन्द्रण स्थानीय शर्तों और स्थानीय अपेक्षाओं के आधार पर अपनी कार्य योजना तैयार करने की स्वतंत्रता देना है जैसाकि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में उद्देश्यों की परिकल्पना की गई है। कुछ क्रियाकलाप/परियोजनाएं जो सीएसएस की परिधि से बाहर हैं, स्कीम के साथ जुड़कर फ्लेक्सी निधि द्वारा किए जाएंगे। फ्लेक्सी निधि विभिन्न सीएसएस स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित मानदंड़ों से जुड़कर कार्य कर सकती है।

पंचायती राज : पंचायती राज मंत्रालय के लिए 2013-14 का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 500 करोड़ रुपए जिसमें से 50.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए निर्धारित है। पिछड़ा क्षेत्र विकास अनुदान निधि के तहत राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता परिव्यय 6500.00 करोड़ रुपए है।

पंचायती राज मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, संविधान (73वां संशोधन)

अधिनियम, 1992, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों और जिला नियोजन समितियों से संबद्ध संविधान के भाग IX क के अनुरूप 243 यघ के क्रियान्वयन की मानीटरिंग करना है। राजीव गांधी पंचायती सशक्तीकरण अभियान एक अम्ब्रैला स्कीम है, जिसके लिए 455.00 करोड़ रुपए का कुल बजट है। इसका लक्ष्य पंचायतों के ज्ञान सृजन और क्षमता निर्माण हेतु संस्थागत संरचना सुदृढ़ करना है। ग्राम सभा को सुदृढ़ करना, ईआर का प्रशिक्षण, ई-अभिशासन और कार्यों के विकास हेतु राज्यों को प्रोत्साहन, पंचायती राज संस्थाओं की निधियां और कर्मचारियों का प्रशिक्षण इसका कार्य है। इस स्कीम में चार मौजूदा स्कीमों का विलय किया गया है। दूसरी मुख्य स्कीम मीडिया और प्रचार स्कीम है, इसका लक्ष्य महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना और जनता में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में श्रव्य, दृश्य और मुद्रण तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाना है। कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन मुख्यतः प्रस्तावों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है; जिसका लक्ष्य दीर्घावधिक मुद्दों को देशभर में पंचायती राज में प्रभाव और अनुभव का गहन विश्लेषण करना और राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है।

बीआरजीएफ, 6500.00 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विकास में बाधाओं को हटाने, विकास प्रक्रिया में तेजी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों सहित कार्यक्रम और नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों हेतु विकास कार्यक्रमों पर फोकस करना है ताकि असंतुलनों को घटाया और विकास को तेज किया जा सके। बीआरजीएफ के अन्तर्गत पिछड़े जिलों में सभी स्तरों पर पंचायतों की नियोजन तथा कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

भूमि सुधार : इस क्षेत्र के लिए केंद्रीय आयोजना परिव्यय 378.00 करोड़ रुपए है जिसमें 0.50 करोड़ रुपए राष्ट्रीय पुनर्वास और पुर्स्थापना नीति के लिए हैं और इसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 15.05 करोड़ रुपए शामिल हैं। भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, अधिकार के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण, मानचित्र, सर्वेक्षण/ पुनः सर्वेक्षण का आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग से डिजीटलीकरण, पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण, संबंधित कर्मचारियों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, तहसील/तालुक/सर्किल/ खण्ड स्तर पर भूमि अभिलेखों और पंजीकरण कार्यालयों एवं आधुनिक अभिलेख कक्ष/ भूमि रिकार्ड प्रबंधन केन्द्रों के बीच संपर्क बनाना शामिल है। एनएलआरएमपी के अन्तर्गत सभी गतिविधियां जिलों में समाहित हो जाएंगी और जिला कार्यान्वयन की इकाई है। देश में सभी जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत 12वीं योजना के अंत तक कवर किए जाने की अपेक्षा है। एनएलआरएमपी का अन्तिम लक्ष्य देश में प्रकल्पित शीर्षों की मौजूदा प्रणाली को हटाकर समावेशिता की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत तथा मॉनिटर करने वाली समिति का गठन एनएलआरएमपी के अन्तर्गत किया गया है जो परियोजनाओं/प्रस्तावों की स्वीकृति पर विचार करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा 267 जिलों को निधियां आवंटित की गई हैं । भूमि संसाधन निभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति (एनआरआरपी), 2007 तैयार की है जिसका उद्देश्य विस्थापन को न्यूनतम करना है तथा जहाँ तक संभव हो, गैस विस्थापन अथवा कम से कम विस्थापन वाले विकल्पों को बढ़ाना है ताकि पुनर्वास पैकेज और पुनर्वास प्रक्रिया के शीघ्र कार्यन्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण

वृहत् और मध्यम सिंचाई: इस क्षेत्र के अंतर्गत 894.55 करोड़ रुपए का परिव्यय जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास, जल विज्ञान परियोजना, जल संसाधन विकास योजना के अन्वेषण, जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान तथा विकास, राष्ट्रीय जल अकादमी, सूचना, शिक्षा तथा संचार, नदी थाला संगठन/ प्राधिकरण और अवसंरचना विकास के लिए है।

लघु सिंचाई : इस क्षेत्र के अंतर्गत 312.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उन कार्यक्रमों के लिए है जो इस क्षेत्र के अंतर्गत कार्यान्वित किए जाने हैं और जिनमें (i) भू-जल प्रबंधन और विनियम, (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, और (iii) अवसंरचना विकास शामिल हैं।

बाढ़ नियंत्रण : बाढ़-नियंत्रण क्षेत्र के लिए 143.35 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसके अंतर्गत दो श्रेणी के कार्यक्रम हैं, (i) बाढ़ निंयत्रण योजनाएं/ कार्यक्रम और (ii) बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को सहायता। इस क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ पूर्वानुमान; सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप; और अवसंरचना विकास के लिए प्रावधान है। इस कार्यक्रम में बाढ़ सम्बन्धी आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्थापित बाढ़ पूर्वानुमान तथा चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए गहन निगरानी तथा बाढ़ पुर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना है।

परिवहन सेवाएं : इस क्षेत्र के अंतर्गत 150.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है इसमें फरक्का बांध परियोजना शामिल है जिसका उद्देश्य भागीरथी हुगली नदी सिस्टम के डिजाइन तथा नौवहनता में सुधार करके कलकत्ता पोर्ट को सुरक्षित रखना एवं देख-रेख करना है।

ऊर्जा

विद्युत : विद्युत के लिए कुल परिव्यय 59,329.41 करोड़ रुपए है जिसमें से 9,642.00 करोड़ रुपए-उत्तरी पूर्वी विद्युत पावर कारपोरेशन (447.00 करोड़ रुपए), टिहरी हाइड्रो डेवलैपमेंट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) (133.72 करोड़ रुपए), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (37.20 करोड़ रुपए), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (4,500.00 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 458.70 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 709.36 करोड़ रुपए शामिल हैं) तथा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास संसाधन कार्यक्रम (575.00 करोड़ रुपए जिसमें पूर्वोत्तर के लिए 57.50 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति उप योजना के लिए 90.64 करोड़ रुपए शामिल है), केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (298.73 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (11.00 करोड़ रुपए), ऊर्जा संरक्षण (564.45 करोड़ रुपए), ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (193.41 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय पनबिजली विद्युत निगम लिमिटेड (एनएचपीसी) (995.83 करोड़ रुपए), ब्याज सब्सिडी - राष्ट्रीय बिजली निधि (151.92 करोड़ रुपए), कारगिल के मार्फत श्रीनगर से लेह की 220 किलोमीटर की पारेषण लाइन (226.00 करोड़ रुपए) तथा डिस्कॉम की ऋण पुनर्संरचना के लिए वित्तीय सहायता (1,500.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता है। 49,687.41 करोड़ रुपए का आईईवीआर - राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (20,200.00 करोड़ रुपए), एनएचपीसी (2,453.76 करोड़ रुपए), दामोदर घाटी निगम लि. (4,080.82 करोड़ रुपए), नीप्को (1,542.61 करोड़ रुपए), सतलुज जल विद्युत निगम लि. (964.08 करोड़ रुपए), टीएचडीसीआईएल (446.14 करोड़ रुपए) तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (20,000.00 करोड़ रुपए) की योजनाओं/ परियोजनाओं के लिए है।

नाभिकीय ऊर्जा: वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कुल परिव्यय 8311.00 करोड़ रुपए है। आयोजना परिव्यय में 716.14 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता तथा 7595.26 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईवीआर) शामिल हैं। बजटीय सहायता में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लि. (भाविनी) के लिए इक्विटी में निवेश और रूसी परिसंघ की सहायता से कुडनकुलम में भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम लि. द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना शामिल है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र की परियोजनाएं भी जो विद्युत कार्यक्रम के लिए अनुसंधान व विकास सहायता प्रदान करने के लिए हैं, को भी शामिल किया गया है।

पेट्रोलियम : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 79052.16 करोड़ रुपए है जिसमें आयोजना परिव्यय में 43.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 79009.16 करोड़ रुपए आईईबीआर के रूप में है। बजटीय सहायता में राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, जैसे, रायबरेली के लिए 41.00 करोड़ रुपए और गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शनों संबंधी योजना के लिए 1.00 करोड़ रुपए की एककालिक सहायता और कच्चे तेल के भण्डारण हेतु सामरिक भण्डारण कार्यक्रम हेतु 1.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। बाद की दो योजनाएं अभी तक मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं है। आईईवीआर में से 54760.01 करोड़ रुपए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए 19695.78 करोड़ रुपए पेट्रोलियम उत्पादों के शोधन और विपणन के लिए 4476.37 करोड़ रुपए पेट्रोरसायन के लिए तथा 77.00 करोड़ रुपए इंजीनियरिंग के लिए है।

कोयला और लिग्नाइट : भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसंरचना सहायता के लिए ऊर्जा क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कोयला और लिग्नाइट के लिए 2013-14 के लिए आयोजना परिव्यय 11,754.21 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसे 450 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता में से और आंशिक रूप से अपने आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के 11,304.21 करोड़ रुपए में से पूरा किया जाएगा। जनजातीय

उपयोजना के अंतर्गत क्षेत्रीय अन्वेषण, व्यापक ड्रिलिंग तथा कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा की योजनाओं हेतु 82% का प्रावधान किया जा रहा है।

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा : वर्ष 2013-14 के लिए नवीन तथा नवीकरणीय मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 3,915 करोड़ रुपए है (जिसमे आईईबीआर के रुप में 2,394 करोड़ रुपए, 1,511 करोड़ रुपए की घरेलू बजटीय सहायता तथा 10 लाख रुपए का विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम घटक शामिल है)। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित वास्तविक लक्ष्य/ कार्यकलाप निर्धारित किए गए हैं:

(क) ***ग्रिड इंटरएक्टिव और वितरित नवीकरणीय विद्युत*** - पवन, लघुपन, बायोमास विद्युत/सहसर्जन से वर्धित लगभग 3000 मेगावाट ग्रिड इंटरएक्टिव विद्युत, शहरी और औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा और सोर ऊर्जा; और लगभग 100 मेगावाट के बराबर ऑफ ग्रिड/वितरित नवीकरणीय विद्युत प्रणालियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान। इसमें अनुसूचित जाति के लाभभोगियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।

(ख) ***ग्रामीण अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा*** इस प्रावधान का प्रयोग 1.00 लाख फैमिली प्रकार के बायोगैस संयत्रों के निर्माण और कुक स्टोवों का नया कार्यक्रम आरंभ करने के लिए किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए प्रावधान शामिल है।

(ग) ***शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोग हेतु नवीकरणीय ऊर्जा:*** सौर थर्मल सिस्टम का नियोजन तथा ऊर्जा-सक्षम भवनों को प्रोत्साहन और सौर शहरों के मास्टर प्लान।

(घ) ***नवीकरणीय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास*** - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर आरएंडडी क्रियाकलाप; एमएनआरई केन्द्रों/संस्थानों (एसईसी, सी-डब्ल्यूईटी तथा एनआईआरई) को सहायता; मानक और परीक्षण; नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत शुरु की जाने वाली अनुसंधान डिजाइन और विकास गतिविधियों सहित)।

(ङ) ***सहायक कार्यक्रम*** - नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का सूचना, प्रचार तथा विस्तार; अंतरराष्ट्रीय सम्बन्ध; मानव संसाधन विकास तथा प्रशिक्षण सहित प्रशासन और मॉनीटरिंग; राज्यों को सहायता, सौर मिशन के तहत शुरू किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप सहित)।

उद्योग और खनिज

लोहा एवं इस्पात उद्योगः इस्पात मंत्रालय का कुल परिव्यय 19730.77 करोड़ रुपए है जिसमें से 13000.00 करोड़ रुपए की राशि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को उपलब्ध कराई गई है जो इसके आईएंडईबीआर में से पूरी की जाएगी। सेल की विभिन्न योजनाओं के लिए दिए गए परिव्यय का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

(i) भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए 5900.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। कुल परिव्यय का बड़ा हिस्सा (5300.00 करोड़ रुपए) संयत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए है। शेष परिव्यय 700 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, एचएजीपी, प्लेट मिल में पीबीआर, हॉट मेटल डिसल्फ्यूराइजेशन यूनिट, स्लैब कास्टर, आरएच डेगासेर, खनन रेलवे ट्रैक- रोघाट जैसी योजनाओं तथा अन्य चल रही योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के लिए है।

(ii) दुर्गापुर इस्पात संयत्र के लिए 900.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है, जिसमें से 4775.00 करोड़ रुपए संयत्र के विस्तार के लिए निर्धारित हैं। परिव्यय के अंतर्गत कवर की गई अन्य योजनाओं में बीएफ में बैल लैस टाप चार्जिंग प्रणाली की स्थापना, कांगड़ा में इस्पात प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना, बीएफ-3 के गैस क्लीनिंग प्लांट का आशोधन/ आधुनिकीकरण तथा अन्य लघु योजनाएं शामिल हैं।

(iii) राउरकेला इस्पात संयत्र के लिए 2400.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। परिव्यय में शामिल प्रमुख योजना आरएसपी का विस्तार (2050.00 करोड़ रुपए)है। अन्य योजनाओं में सीओवी नं.4 का पुनर्निर्माण, 700 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना, कोक ओवन गैस होल्डर की स्थापना, एसएमएस-।।, के बीओएफ कंवर्टरों को एक साथ चलाना, जगदीशपुर इस्पात परियोजना तथा अन्य चल रही योजनाएं तथा नई योजनाएं शामिल हैं।

(iv) 1425.00 करोड़ रुपए का परिव्यय बोकारो संयंत्र के विस्तार पर खर्च के लिए (1200.00 करोड़ रुपए), सीओवी नं.1 के पुनर्निर्माण, टर्बो ब्लोअर स्टेशन में टीबी की स्थापना, बीएफ-2 के उन्नयन, बेतिया में इस्पात प्रसंस्करण यूनिट तथा अन्य चल रही योजनाओं और नई योजनाओं के लिए है।

(v) इस्को इस्पात संयत्र के लिए 1800.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है। बड़ा हिस्सा आईएसपी के विस्तार (1750.00 करोड़ रुपए), सीओबी सं. 10 के पुननिर्माण और शेष राशि अन्य चल रही योजनाओं तथा नई योजनाओं के लिए है।

(vi) एलॉय स्टीलय प्लांट के लिए 25.00 करोड़ रुपए का परिव्यय विभिन्न पूरी कर ली गई तथा चल रही योजनाओं के लिए है।

(vii) सलेम इस्पात संयत्र के लिए 45.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है। परिव्यय का बड़ा हिस्सा एसएसपी के विस्तार (40.00 करोड़ रुपए) के लिए है और शेष राशि लघु मूल्य की विविध योजनाओं के लिए है।

(viii) (505.00 करोड़ रुपए) का शेष परिव्यय विश्वेश्वराया लौह व इस्पात लि. (20.00 करोड़ रुपए), सेल की केन्द्रीय इकाइयों (350.00 करोड़ रुपए), कच्ची सामग्री प्रभाग (30 करोड़ रुपए), चन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लांट (105.00 करोड़ रुपए) के लिए भी विभिन्न चल रही योजनाओं और नई योजनाओं/परियोजनाओं और अनुसंधान कार्य के लिए है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. (आरआईएलएल) के लिए 2216.14 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है, जिसका बड़ा हिस्सा (600 करोड़ रुपए) इसकी उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए है। शेष परिव्यय एएमआर योजनाओं, कोक ओवन बैट्री सं.4 (चरण । व ।।), एयर सेपरेशन प्लांट, बीएफ-1, श्रेणी 1 व 2 मरम्मत, पुल्वेराइज्ड कोल इंजेक्जन, लौह-अयस्क खानों तथा कोकिंग कोल खानों के अधिग्रहण, 67.5 मेगावाट टीजी-5 पावर एवाकुएशन सिस्टम आदि के लिए है। समूचा परिव्यय कंपनी के आईएईवीआर में से पूरा किया जाएगा जिसमें दो सहायक पीएसयू अर्थात ओएमडीसी लि. तथा बीएसएलसी लि. के परिव्यय शामिल हैं जो भूतपूर्व बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के घटक थे।

4084.00 करोड़ रुपए का परिव्यय, जिसे कम्पनी के आईएंडईवीआर में से पूरा किया जाएगा। एनडीएमसी लि. के लिए उपलब्ध कराया गया है वैलाडिला डिपॉजिट-11बी, कुमारस्वामी लौह अयस्क परियोजना, छत्तीसगढ़ में 3 मिलियन टन इस्पात संयत्र, डोनीमलाई तथा बचेली में पेल्ले टाइजेशन प्लांट, एएमआर/टाउनशिप तथा अनुसंधान व विज्ञान योजनाओं आदि के लिए आयोजना परिव्यय किया गया है।

केआईओसीएल लि. के लिए 95.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है जिसमें से 32.25 करोड़ रुपए एएमआर योजनाओं के लिए तथा 10.00 करोड़ रुपए कोक ओवन प्लांट के लिए है। शेष परिव्यय विभिन्न चल रही योजनाओं तथा आरएडी/ संभाव्यता अध्ययनों के लिए है। परिव्यय कंपनी के आईएंडईवीआर में से पूरा किया जा रहा है।

एमओआईएल लि. के लिए 207.63 करोड़ रुपए का परिव्यय आरआईएम सहित फेरो मैगंनीज/ सिलिको मैगंनीज प्लांट हेतु संयुक्त उद्यम में निवेश, मुनसर, चिकला और उकवा तथा गुमगाँव खान में वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, एएमआर योजनाओं, टाऊनशिप और आरएंडइडी/ संभाव्यता अध्ययनों आदि के लिए है। समूचा परिव्यय कंपनी के आईएंडईवीआर में से पूरा किया जाएगा।

मेकॉन लि. के लिए 5.00 करोड़ रुपए का परिव्यय, जो कंपनी के आईएंडईवीआर में से पूरा किया जाएगा, विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थान/ अतिथि गृह के विस्तार, आशोधन तथा वर्धन के लिए है।

65.00 करोड़ रुपए का परिव्यय, जो आईएंडईवीआर में से पूरा किया जाएगा, श्रेडिंग प्लांट के लिए एमएसटीसी लि. के लिए उपलब्ध कराया गया है।

फेरो स्क्रेप निगम लि. के लिए उपलब्ध कराय गया 12.00 करोड़ रुपए का परिव्यय एएमआर योजनाओं के लिए है जो कंपनी के आईएंडईवीआर में से पूरा किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूल ढ़ंग से गुणवत्ता वाले इस्पात के लागत प्रभावी उत्पादन के लिए नवीन/ अद्यतन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आरएंडडी को बढ़ाने और तेज करने के लिए लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के संवर्धन हेतु योजना के लिए 12.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरियंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स तथा अन्य मूल्य वर्धित नवीन इस्पात उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास हेतु आरएंडडी योजना के नए घटक के लिए 32.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

नवीन लौह/ इस्पात निर्माण प्रक्रिया/ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए

विद्यमान आरएंडडी योजना के अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए 2.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगः वर्ष 2013-14 के लिए परिव्यय 2919.12 करोड़ रुपए है, जिसमें 2452.12 करोड़ रुपए के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन और 467.00 करोड़ रुपए का जीबीएस शामिल हैं। परिव्यय मुख्यतः निम्नलिखित के लिए हैः-

(क) नेशनल एल्युमीनियम - 1737.00 करोड़ रुपए;
(ख) तांबा (हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड) - 688.37 करोड़ रुपए;
(ग) खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड संवर्धानात्मक सहायता अनुदान (9.00 करोड़ रुपए) तथा आईईबीआर (20.00 करोड़ रुपए) - 29.00 करोड़ रुपए;
(घ) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण - 392.00 करोड़ रुपए;
(ङ) भारतीय खान ब्यूरो - 49.00 करोड़ रुपए;
(च) विज्ञान व प्रौद्योगिकी कार्यक्रम - 10.75 करोड़ रुपए;
(छ) जीएसआई और आईबीएम के निर्माण कार्यक्रम - 13.00 करोड़ रुपए।

उर्वरक उद्योगः योजना आयोग द्वारा किए गए समग्र आवंटन को ध्यान में रखते हुए तथा कंपनियों की आमेलन क्षमता पर विचार करते हुए उर्वरक विभाग द्वारा तीन घाटे वाली पीएसयू को बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वित्तीय सहायता के आधार पर, घाटे वाली कंपनियां बिना किसी बाधा के अपनी इकाईयां प्रचालित रखती हैं तथा उर्वरकों की आपूर्ति एवं उपलब्धता की पुष्टि किसानों को मौसमवार कहती हैं। प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी (एमआईटी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) जैसी योजनाओं के लिए थोड़ी धनराशि भी चिन्हित की जाती है। 2013-14 के लिए आयोजना परिव्यय 3039.71 करोड़ रुपए है जिसमें से 2770.71 करोड़ रुपए की धनराशि आईईवीआर में से तथा शेष 269.00 करोड़ रुपए धनराशि बजटीय सहायता के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। उर्वरक विभाग विदेशों में संयुक्त उद्यमों की संभावनाएं तलाश कर रहा है। चूंकि अभी कोई निश्चित प्रस्ताव विचाराधीन नही है, इसलिए केवल सांकेतिक प्रावधान रखा गया है। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कारपोरेशन लि. (बीवीएफसीएल) के लिए जीबीएस भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए उद्योग विभाग का अंशदान है।

रसायन और पेट्रोरसायन उद्योगः रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के लिए परिव्यय 1200.00 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1000.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 120.00 करोड़ रुपए शामिल है) डिब्रुगढ़ (असम) में लेपेटकाटा में पेट्रोकेमीकल गैस क्रेकर काम्पलैक्स की स्थापना के लिए है।

भारी उद्योग विभाग : भारी उद्योग विभाग के लिए आयोजना परिव्यय 2,379.08 करोड़ रुपए है जिसमें 1,794.08 करोड़ रुपए का आईईबीआर तथा 585.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। आवंटन में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 58.50 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आटोमेटिव परीक्षण और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना के लिए 341.94 करोड़ रुपए तथा 184.56 करोड़ रुपए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ सीपीएसई/ स्वायत्तशासी निकायों, कार्यालय के आधुनिकीकरण, पेशेवर तथा विशेष सेवाओं, विज्ञापन और प्रचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा पूंजीगत वस्तुओं आदि में प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ावा देने के लिए है। सीपीएसई के अंतर्गत नीति के अनुसार,रुग्ण/घाटे वाली सीपीएसई के लिए पुरुद्धार प्रयास शुरु किए गए हैं। विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्निर्माण हेतु बोर्ड को भेजी गई सभी 28 सीपीएसई पर उनके द्वारा विचार किया गया है।

औद्योगिक और खनिज सेक्टर (परमाणु उर्जा): औद्योगिक और खनिज (आई एंड एम) क्षेत्र के अन्तर्गत 2013-14 के लिए परिव्यय 1828.80 करोड़ रुपए है जिसमें 1425.00 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 404.00 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आं.व ब. बाह्य संसाधनों के रुप में हैं। 403.80 करोड़ रुपए के आं. ब बा. सं. में इंडियन रेयर अर्थ लि., इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. जैसे विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। बजटीय सहायता में ग्यारहवीं योजना की चल रही स्कीमों और बारहवीं योजना की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, नाभिकीय ईंधन कम्पलेक्स, हैवी वाटर बोर्ड और रेडिएशन एवं आइसोटोप टेक्नोलोजी के बोर्ड की नई योजनाओं के लिए प्रावधान शामिल है। यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि. में इक्विटी में निवेश के रूप में बजटीय सहायता की भी परिकल्पना की गई है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के लिए 3285.00 करोड़ रुपए (आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में 308 करोड़ रुपए सहित) का परिव्यय है। इसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (1418.28 करोड़ रुपए), प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (102.00 करोड़ रुपए),राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (378.00 करोड़ रुपए) (308.00 करोड़ रुपए का आईईबीआर और 70.00 करोड़ रुपए की निवेश इक्विटी शेयर पूंजी सहित) प्रदर्शन और ऋण दर (70.00 करोड़ रुपए), विपणन सहायता (14.00 करोड़ रुपए) और प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान और कार्यक्रम की गुणवत्ता 487.00 करोड़ रुपए), अवसंरचना विकास तथा क्षमता निर्माण (पूर्वतः एमएसएमई सामूहिक विकास कार्य-क्रमों तथा एमएसएमई वृद्धि पोल्स (159.50 करोड़ रुपए), पारम्परिक उद्योगों की पुर्नस्थापना हेतु निधियों की योजना (55.54 करोड़ रुपए) तथा एक नई स्कीम भारतीय समेकित नवाचार निधि (पूर्वतः राष्ट्रीय नवाचार निधि) (50.00 करोड़ रुपए) शामिल है।

वस्त्रोद्योगः कपड़ा मंत्रालय के लिए 4631.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मुख्यतः इनके लिए है; (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 463.10 करोड़ रुपए, एससीएसपी के लिए 231.55 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 55.57 करोड़ रुपए सहित) (i) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना-2400.00 करोड़ रुपए, (ii) मानव संसाधन विकास (25.00 करोड़ रुपए), (iii) एकीकृत टेक्सटाईल पार्क (300.00 करोड़ रुपए, (iv) जियो टेक्सटाईल पूर्वोत्तर क्षेत्र का उपयोग (114.00 करोड़ रुपए), (v) पूर्वोत्तर टेक्सटाईल प्रोत्साहन योजना (115.00 करोड़ रुपए), (vi) हथकरघा क्षेत्र का पुनरुद्धार, सुधार और पुर्नगठन पैकेज के लिए 175.00 करोड़ रुपए और (vii) उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (291.00 करोड़ रुपए, इत्यादि।

परिवहन

रेलवेः रेलवे का वार्षिक आयोजना परिव्यय 63,363.00 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, 27,102.00 करोड़ रुपए की पूर्ति सकल बजटीय सहायता से की जाती है, जिसमें रेलवे का अंशदान डीजल उपकर में से 1102.45 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है। प्रस्तावित लक्ष्य 3000 कि.मी. का ट्रैक नवीनीकरण, 1300 रूट कि.मी. का विद्युतीकरण, 450 कि.मी. का गेज परिवर्तन, 500 कि.मी. की नई रेल लाइनें, 750 कि. मी. दोहरी लाइन बिछाना तथा 675 अतिरिक्त रेल इंजनों का विनिर्माण करके लक्ष्य प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

सड़क परिवहन और राजमार्गः सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा रखरखाव, मोटर वाहन अधिनियम और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों का संचालन, सड़क परिवहन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, ऑटोमोटिव मानक, इत्यादि कार्य सौंपा गया है जिसमें पड़ौसी देशों में वाहन ट्रैफिक आवागमन के लिए प्रबंध करना भी शामिल है।

- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के लिए आवंटन 25,859.91 करोड़ रुपए है।

- निम्नलिखित सारणी वर्ष 2013-14 के लिए केंद्रीय सड़क निधि से व्यय का प्रावधान दर्शाती है :-

(करोड़ रुपए)

मद	
- राज्यों को अनुदान (सड़कों एवं पुलों)	2267.00
- राज्यों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	243.86
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अनुदान	92.91
- संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तर्राज्यीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए अनुदान	18.36
- केन्द्रीय निधि से एनएचएआई में निवेश	6857.45
- सड़क राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजी परिव्यय	3024.50
- रेलवे (उपकर से)	1102.45
- ग्रामीण सड़कें (उपकर से)	5827.20
जोड़	**19433.73**

सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा निष्पादित कार्य के लिए 500.00 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

पोत परिवहन- भारतीय पोत परिवहन, पत्तनों, अंतर्देशीय जल परिवहन और पोतनिर्माण उद्योगों के विकास और विस्तार के लिए पोत परिवहन मंत्रालय का आयोजना परिव्यय वर्ष 2013-14 के लिए 7087.30 करोड़ रुपए है, जिसमें आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों के रूप में भारतीय पोत परिवहन निगम, कोचीन शिपयार्ड लि., ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का 6235.30 करोड़ रुपए शामिल हैं।

नागर विमाननः 5000.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता एयर इंडिया लिमिटेड में इक्विटी पूंजी निवेश के रूप में निर्धारित की गयी है। 105.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मंत्रालय (मुख्य) को आयोजना स्कीमों के व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 42.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता दी गई है, जिसमें से 32.00 करोड़ रुपए पकयोंग, सिक्किम (पूर्वोत्तर क्षेत्र) में इसकी परियोजना के लिए निर्धारित की गई है। 30.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता नागर विमानन महानिदेशालय को उनकी आयोजना स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए दी गई है। 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के लिए उनकी आयोजना स्कीमों में व्यय को पूरा करने के लिए दिया गया है। 5.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता होटेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया को उनके होटल/विमान रसोई के नवीकरण के लिए दी गई है। ऐरो क्लब ऑफ इंडिया को 8.00 करोड़ रुपए का सहायता-अनुदान दिया गया है।

ग्रामीण सड़कें (सड़कें और पुल): वर्ष 2013-14 के लिए कुल बजटीय सहायता 21,700 करोड़ रुपए है, जिसमें 1,743.90 करोड़ रुपए का प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए रखा गया है।

प्रधानमंत्री सड़क योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, कोर नेटवर्क में विद्यमान सभी पात्र और पहले से न जुड़े वासस्थलों को सभी मौसमों में बनी रहने वाले सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निहित एक केन्द्रीय तौर पर प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम में मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले सभी आहर्क सड़क मार्ग से न जुड़े हुए वासस्थलों को और पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय (सूची-V) क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों (मरूस्थल विकास कार्यक्रम में चिन्हित) तथा गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत चिन्हित किए अनुसार 82 चुनिंदा आदिवासी तथा पिछड़े जिलों में 250 व्यक्तियों से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत कुल 1,64,849 बस्तियों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है। खेत से बाजार की पूर्ण संपर्कता को सुनिश्चित करने के लिए गांवों की मौजूदा सड़कों के स्तर का उन्नयन भी इसमें किया जाएगा (जिसपर आने वाली 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा अदा करनी होगी)।

ग्रामीण सड़कों को भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसका लक्ष्य सभी मौसम में चलने वाली सड़कों द्वारा 1000 जनसंख्या वाले सभी गांवों (पहाड़ी अथवा सूची-V के आदिवासी क्षेत्रों के मामले में 500) को जोड़ना है। भारत निर्माण कार्यक्रम में भी खेत से बाजार का पूर्ण संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 1.94 कि.मी. की विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के साथ एक उन्नयन घटक है। राज्यों द्वारा धरातली सत्यापन के आधार पर, "भारत निर्माण" के लक्ष्यों के अधीन कुल 63,940 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तीन विदेशी सहायता परियोजनाएं अर्थात् एशियाई विकास बैंक की सहायता से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I और II तथा विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-I विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में, एडीबी के तहत ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना-III को भी कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने के लिए वार्तालाप जारी है। विश्व बैंक की ग्रामीण सड़क परियोजना-II के तहत, 14 जनवरी, 2011 को 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण हस्ताक्षरित किया गया था। योजना का कार्यान्वयन सात राज्यों में किया जा रहा है।

संचार

डाक सेवाएं: वर्ष 2013-14 हेतु डाक विभाग के लिए 800.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय प्रावधान 80 करोड़ रुपए है। 12वीं योजना में व्यापक स्तर पर सेवाएं और उत्पाद मुहैया कराने, उपभोक्ता सेवा सुपुर्दगी बेहतर करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों आदि की व्यापक सुपुर्दगी के जरिए ग्रामीण गरीबों का जीवन सुधारने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभों और प्रभाव को समेकित करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा इन पहलों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन, विपणन, गुणवत्ता प्रबंधन और डाक नेटवर्क की वृहत्तर पहुंच के जरिए पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराई गई है। आयोजना का मुख्य जोर इनसे संबंधित है (i) डाक प्रचालन (92.15 करोड़ रुपए), (ii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिष्ठापन और आधुनिकीकरण (532.21 करोड़ रुपए), (iii) संपदा प्रबंधन (23.50 करोड़ रुपए), (iv) प्रीमियम सेवाएं (10.00 करोड़ रुपए), (v) मानव संसाधन प्रबंधन (27.00 करोड़ रुपए), (vi) वित्तीय सेवाएं (बचत बैंक और प्रेषण) (55.87 करोड़ रुपए), (vii) ग्रामीण कारोबार और पोस्टल नेटवर्क में पहुंच (17.57 करोड़ रुपये) और (viii) पोस्टल परिचालन (26.40 करोड़ रुपए)।

दूरसंचार सेवाएं: वर्ष 2013-14 हेतु दूरसंचार विभाग का आयोजना परिव्यय 12,239.93 करोड़ रुपये है जिसमें 5800.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता और 6439.93 करोड़ रुपए की आंतरिक और बजट बाह्य संसाधन के रूप में शामिल है। सार्वभौमिक सेवा आबंध के तहत योजनाओं के लिए 3000.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 303.00 करोड़ रुपए और टीएसपी के लिए 13.20 करोड़ रुपए सहित), रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क के लिए 2425.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 244.50 करोड़ रुपए) तथा सी-डॉट के लिए 250.00 करोड़ रुपए (एनईआर के लिए 26.00 करोड़ रुपए और आदिवासी उप आयोजना के लिए 1.10 करोड़ रुपए) की बजटीय सहायता का प्रावधान किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों के आंतरिक और बजट बाह्य संसाधनों में 6,439.93 करोड़ रुपये शामिल हैं - भारत संचार निगम लिमिटेड (5593.00 करोड़ रुपये), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (786.93 करोड़ रुपये) और सी-डॉट (60.00 करोड़ रुपये)।

सूचना प्रौद्योगिकी: संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का इलेक्ट्रॉनिक (डीईआईटीवाई) तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीटी) देश में इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने, उनके क्रियान्वयन और समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। आईटी क्षेत्र का 12वीं योजना में दृष्टिकोण और मिशन है - ई अवसंरचना सृजन की एक बहुमुखी कार्यनीति के जरिए भारत का ई-विकास करना ताकि फास्ट ट्रैक ई-गवर्नेंस आसान किया जा सके, इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर विनिर्माण और सूचना प्रौद्योगिकी - सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग जो नवीन/अनुसंधान एवं विकास, जानकारी नेटवर्क बनाने और भारत से साइबर स्पेस को सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण तथा मिशन हासिल करने हेतु, कार्यदल ने सात मुख्य क्षेत्रों को अभिचिन्हित किया। इन मुख्य क्षेत्रों के मूल विषय निम्नलिखित हैं:

- ई-गवर्नमेंट
- ई-लर्निंग
- ई-सिक्योरिटी
- ई-इंडस्ट्री (इलेक्ट्रानिक्स हार्डवेयर)
- ई-इंडस्ट्री (आईटी-आईटीज)
- ई-इनोवेशन/आरएंडडी।

वर्ष 2013-14 के लिए डीटी का आयोजना परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपए है (आईईबीआर के 742.59 करोड़ रुपए के अतिरिक्त)। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित के लिए 300.00 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति उप आयोजना (एससीएसपी) के लिए 60.00 करोड़ रुपए और आदिवासी उप आयोजना (टीएसपी) के लिए 201.00 करोड़ रुपए का प्रावधान बजटीय सहायता में शामिल है। इसमें निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र/वर्तमान स्कीमों से संबंधित योजनाओं पर बल दिया गया है, (i) ई-गवर्नमेंट (1530.00 करोड़ रुपए) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (700.00 करोड़ रुपए) तथा एनआईसी (830.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (ii) ई-लर्निंग (555.86 करोड़ रुपए) जिसमें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (360.00 करोड़ रुपए), आईटी में कौशल विकास सहित मानवशक्ति विकास और जनसमूह के लिए आईटी (150.00 करोड़ रुपए), एनआईईएलआईटी (10.75 करोड़ रुपए), शिक्षा एवं अनुसंधान नेटवर्क (0.01 करोड़ रुपए), भारतीय भाषाओं के लिए तकनीकी विकास (35.00 करोड़ रुपए) तथा एकीकृत टाउनशिपों के निर्माण के सरलीकरण के लिए (0.10 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (iii) ई-सिक्योरिटी (60.37 करोड़ रुपए) जिसमें साइबर सिक्योरिटी (54.37 करोड़ रुपए) तथा प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक (6.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (iv) ई-इंटस्ट्री (इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर)

(220.00 करोड़ रुपए) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स/आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को प्रोत्साहन (100.00 करोड़ रुपए) तथा परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन का मानकीकरण (120.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; (v) ई-इंडस्ट्री (आईटी-आईटीज) (52.50 करोड़ रुपए) जो भारत के सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्कों और ईएचटीपी के लिए है; (vi) ई-इनोवेशन/आर एंड डी (536.27 करोड़ रुपए) जिसमें एडवांस कम्प्यूटिंग विकास केन्द्र (205.00 करोड़ रुपए), आईटीआरए सहित तकनीक विकास परिषद परियोजनाएं (100.00 करोड़ रुपए), एपलाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान के लिए सोसायटी (50.00 करोड़ रुपए), अभिसरण, संचार एवं अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक्स (30.00 करोड़ रुपए), मीडिया लैब एशिया (26.27 करोड़ रुपए), घटक एवं पदार्थ विकास कार्यक्रम (30.00 करोड़ रुपए) तथा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा हैल्थ इंफोरमेटिक्स में आर एंड डी (10.00 करोड़ रुपए) शामिल हैं; तथा सचिवालय के अन्य खर्चे (45.00 करोड़ रुपए)।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण

परमाणु ऊर्जा अनुसंधानः वर्ष 2013-14 हेतु अनुसंधान और विकास क्षेत्र के लिए 3738.86 करोड़ रुपए का आयोजना परिव्यय भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, परिवर्ती ऊर्जा, साइक्लोट्रोन केन्द्र, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा स्मारक केन्द्र, साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, शिक्षा एवं अनुसंधान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, हरिश्चन्द्र अनुसंधान संस्थान, गणित विज्ञान संस्थान, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी में निरन्तर अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों का विकास तथा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम और नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड आदि जैसे इसके अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से परमाणु ऊर्जा की XIवीं योजना की जारी स्कीमों को और XIIवीं योजना की नई स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में नाभिकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड जैसी दूसरी संस्थाओं के लिए निधिपोषण है। अंतर्राष्ट्रीय थरमोन्युक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, ज्यूल्स होरोबिट्ज रिएक्टर एंड डीएई-यूआईसीटी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में भारतीय भागीदारी के लिए व्यय की व्यवस्था है। परिव्यय में परमाणु अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय द्वारा यूरेनियम के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण और हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए वैश्विक केन्द्र जैसी अन्य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

अंतरिक्ष अनुसंधानः अंतरिक्ष विभाग के लिए 2013-14 हेतु वार्षिक आयोजना परिव्यय 5615.00 करोड़ रूपए है, जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान शामिल हैंः-

(i) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिये, 3106.93 करोड़ रुपए जिसमें यह शामिल है (क) प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के लिए 1925.05 करोड़ रुपए, 139.53 करोड़ रुपए जीएसएलवी एमके-III विकास के लिए, क्रायोजेनिक अपर स्टेज (सीयूएस) परियोजना के लिए 0.10 करोड़ रुपए, पोलर सैटेलाइट प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी-सी) जारी रखने की परियोजना के लिए 350.00 करोड़ रुपए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र (वीएसएससी) के लिए 469.38 करोड़ रुपए, इसरो इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट (आईआईएसयू) के लिए 69.01 करोड़ रुपए, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के लिए 335.12 करोड़ रुपए, जीएसएलवी प्रचालनात्मक परियोजना के लिए 215.91 करोड़ रुपए तथा अंतरिक्ष कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के लिए 0.50 करोड़ रुपए, मानव संचालित मिशन पहलों पर पूर्व-परियोजना अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए 27.00 करोड़ रुपए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 138.50 करोड़ रुपए और सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास के लिए 180.00 करोड़ रुपए; (ख) उपग्रह प्रौद्योगिकी के लिए 818.68 करोड़ रुपए, जिसमें इसरो उपग्रह केन्द्र (आईएसएसी) के लिए 242.13 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रोऑप्टिक सिस्टम की प्रयोगशाला के लिए 38.60 करोड़ रुपए, नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के लिए 135.00 करोड़ रुपए, सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के लिए 60.94 करोड़ रुपए, विकसित संचार उपग्रह (जी सेट-II प्रेक्षेपण सेवा सहित) के लिए 203.00 करोड़ रुपए, अर्थ अब्रजर्वेशन-नई मिशन (रिसैट-3 सहित फ्यूचर ईओ मिशन) के लिए 0.01 करोड़ रुपए, सरल के लिए 10.00 करोड़ रुपये और और जीओ इमेजिंग सैटेलाईट के लिए 80.00 करोड़ रुपए, रिसोर्ससैट-2क के लिए 28.00 करोड़ रुपए, कारटोसैट-3 के लिए 10.00 करोड़ रुपए, स्कट्टसैट के लिए 5.00 करोड़ रुपए, सिसैट-1क के लिए 1.00 करोड़ रुपए और ओशियन सैट-3 के लिए 5.00 करोड़ रुपए और (ग) प्रक्षेपण सहायता, ट्रैकिंग नेटवर्क और रैंज सुविधाओं के लिए 363.20 करोड़ रुपए जिसमें सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र (एसडीएससी-एसएचएआर) के लिए 295.66 करोड़ रुपए, इसरो टेलीमेटरी ट्रैकिंग और कमाण्ड नेटवर्क (आईएसटीआरएसी) के लिए 67.54 करोड़ रुपए शामिल है।

(ii) अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 430.99 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एसएसी) के लिए 192.57 करोड़ रुपए, विकासात्मक और शैक्षिक संचार यूनिट (डीईसीयू) के लिए 32.14 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सिस्टम (एनएनआरएमएस) के लिए 31.50 करोड़ रुपए, अर्थ अबजर्वेशन एप्लीकेशन मिशन (ईओएएम) के लिए 4.37 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदी केन्द्र (एनआरएससी) के लिए 109.61 करोड़ रुपए, भारतीय दूरस्थ संवेदी संस्थान के लिए 24.58 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन सहायता के लिए 30.42 करोड़ रुपए और पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एनई-एसएसी) के लिए 5.80 करोड़ रुपए शामिल है।

(iii) अंतरिक्ष विज्ञान के लिये 477.66 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पी.आर.एल.) के लिये 101.63 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय वायुमण्डलीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एनएआरएल) के लिए 16.77 करोड़ रुपए, अकादमी संस्थाओं में प्रायोजित अनुसंधान (रिस्पोंड) परियोजनाओं में 22.80 करोड़ रुपए, सेंसर पेलोड विकास/उपग्रहीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 3.50 करोड़ रुपए, आदित्य परियोजना के लिए 20.00 करोड़ रुपए, एस्ट्रोसैट 1 और 2 परियोजना के लिए 5.00 करोड़ रुपए, इंडियन लूनर मिशन चन्द्रयान-1 और 2 के लिए 78.00 करोड़ रुपए, मंगल ग्रह मिशन के लिए 167.50 करोड़ रुपए, इसरो ज्योस्फेर-बायोस्फेर कार्यक्रम के लिए 26.73 करोड़ रुपए, वायुमण्डलीय विज्ञान कार्यक्रम के लिए 21.80 करोड़ रुपए, वायुमंडलीय अध्ययन और खगोल विज्ञान हेतु छोटे उपग्रह के लिए 5.00 करोड़ रुपए और अन्तरिक्ष विज्ञान संवर्धन, बैलून सुविधा, बहु संस्थागत अनुसंधान कार्यक्रमों, अंतरिक्ष केन्द्र प्रयोग माइक्रो गुरुत्वकर्षण अनुसंधान के लिए 8.90 करोड़ रुपए आदि शामिल हैं।

(iv) निदेशन और प्रशासन/अन्य कार्यक्रम के लिए 55.15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष पदार्थों तथा घटकों के विकास के लिए 17.51 करोड़ रुपए, एडवांस ऑर्डरिंग के लिए 10.00 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, केन्द्र प्रबंधन जैसे अन्यों के लिए 27.64 करोड़ रुपए शामिल है।

(v) इंसेट कार्यात्मकता के लिए 1544.27 करोड़ रुपए का प्रावधान है जिसमें मास्टर कंट्रोल सुविधा (एमसीएफ) के लिए 37.97 करोड़ रुपए का प्रावधान, इनसैट 3 सैटेलाइट परियोजना के लिए 25.30 करोड़ रुपए जिसमें प्रक्षेपण सेवाएं शामिल हैं, और प्रक्षेपण सेवाओं सहित इनसैट-4 उपग्रह परियोजना के लिए 97.00 करोड़ रुपए, इनसैट/जीसैट ट्रांसपोंडर्स की लीजिंग के सेवा प्रभार के लिए 200.00 करोड़ रुपए, इनसैट-3डी की लॉचिंग सेवाओं के लिए 270.00 करोड़ रुपए, जीसैट-7 लॉच सेवाओं के लिए 14.00 करोड़ रुपए, जीसैट-15 सैटेलाइट के लिए 100.00 करोड़ रुपए, जीसैट-15 सैटेलाइट-लॉच सेवाओं के लिए 300.00 करोड़ रुपए, जीसैट-16 सैटेलाइट-लॉच सेवाओं के लिए 305.00 करोड़ रुपए, जीसैट-17 सैटेलाइट और आगामी मिशन के लिए 90.00 करोड़ रुपए, जीसैट-17 सैटेलाइट और आगामी मिशनों-लॉच सेवाओं के लिए 10.00 करोड़ रुपए शामिल है।

समुद्र विज्ञान अनुसंधान और मौसम विज्ञानः पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का वर्ष 2013-14 हेतु समग्र आयोजना परिव्यय 1281.00 करोड़ रुपये है। इस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में मौसम (सामान्य), कृषि, विमानन, नौवहन, खेल आदि के संबंध में मौसम संबंधी विशिष्ट सलाह देना, मानसून, आपदा (चक्रवात, भूकंप, सुनामी समुद्र तल में बढ़ोतरी), जीवंत अथवा निर्जीव संसाधन (मत्सय संबंधी सलाह, पॉली मेटलिक नोडुल्स, गैस हाइड्रेट, निर्मल जल आदि) तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन, समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से यूटी से जुड़े क्षेत्रों में योगदान करने वाली नीतियां और कार्यक्रम आते हैं। लक्ष्यों को पूरा करने और सुपुर्दगी योग्य सेवाओं को पूरा करने हेतु, कार्यकलापों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने 14 प्रमुख योजनाओं को पुनःअनुस्थापन और नए समूह का निर्माण किया था। कार्यक्रमवार आवंटन इस प्रकार है, (1) वायुमंडलीय अवलोकन प्रणाली नेटवर्क एवं सेवाएं (प्रचालनरत मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान में सुधार के लिए वायुमंडलीय अवलोकन प्रणाली नेटवर्क हेतु 200 करोड़ रुपए), (2) मॉनसून मिशन शुरू करने और गंभीर मौसम के पूर्वानुमानों सहित वायुमंडलीय प्रक्रिया

और मॉडलिंग (अनुसंधान के संवर्धन हेतु 70 करोड़ रुपए), (3) वैश्विक मॉडलों को चलाने के लिए उच्च निष्पादित परिकलन सुविधा क्षमता का संवर्धन (125 करोड़ रुपए), (4) जलवायु परिवर्तन अनुसंधान (65 करोड़ रुपए), (5) उग्र मौसमी घटनाओं का अध्ययन करने के लिए एयरबोर्न प्लेटफॉर्मों की खरीद (30 करोड़ रुपए), (6) महासागर विज्ञान और सेवाएं तथा महासागरीय अवलोकन (विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समुद्र विषयक सलाहकारी सेवाएं मुहैया कराने और समुद्र विज्ञान सेवा के अंतर्गत 24X7 के आधार पर सुनामी और तूफानों की समुद्री आपदाओं की चेतावनी के लिए 131 करोड़ रुपए), (7) खनिज संसाधनों, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स और गहरे हिन्द महासागर और ईईजेड के बाथीमेट्री के अन्वेषण हेतु समुद्री सर्वेक्षण (70 करोड़ रुपए), (8) समुद्री जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने समेत समुद्री संसाधनों के उपयोग के लिए समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास हेतु 90.00 करोड़ रुपये रखे गए हैं, (9) 135.00 करोड़ रुपये दो तटीय अनुसंधान जलयान बदलने के लिए और अनुसंधान जलयानों के प्रचालन और रखरखाव के लिए आवंटित किए गए हैं, (10) 200.00 करोड़ रुपये ध्रुवीय खोज और ध्रुवीय विज्ञान तथा क्रायोस्फीयर कार्यकलापों के लिए अनुसंधान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए रखे गए हैं, (11) 80.00 करोड़ रुपये और 15.00 करोड़ रुपये भूकंपशास्त्र और भूविज्ञान के अध्ययन के लिए रखे गए हैं, (12) अनुसंधान शिक्षा और प्रशिक्षण तथा पहुंच (भारत तथा पड़ौसी देशों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं सहित विभिन्न अकादमी और अनुसंधान संस्थानों में एक्ट्राम्यूरल अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण सहित क्षमता विकास के लिए 70.00 करोड़ रुपये रखे गए हैं), (13) राष्ट्रीय जीआईएस संबंधी परियोजना का कार्य शुरु करने के लिए 1.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की आयोजना स्कीमों का परिव्यय 2777.00 करोड़ रुपये है जो निम्नलिखित छह प्रमुख उद्देश्यों के तहत इस विभाग के कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए है : नीति निर्माण, मानव क्षमता का सुदृढ़ीकरण, संस्थागत क्षमता में सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम, भागीदारी और गठजोड़ तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सामाजिक हस्तक्षेप। इस विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों में नीतिगत अनुसंधान और पूर्वानुमान अध्ययन शुरु करने की योजना है। सरकारी निजी भागीदारी और केंद्र-राज्य प्रौद्योगिकी भागीदारी का नया तंत्र स्थापित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सामाजिक संविदा इस विभाग का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बना हुआ है। ग्रामीण भारत में प्रौद्योगिकी पहुंचाने पर उचित बल दिया जा रहा है। सहायता के लिए नए संस्थानों की पहचान करके उद्यमशीलता और उद्भवन कार्यक्रम को और अधिक मजबूत किया जाएगा। "सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा और क्षमता निर्माण" कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को सुपर कम्प्यूटिंग में अग्रणी बनाना और पेटाफ्लॉप सुपर कम्प्यूटर का विकास करना है। "राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली" एक प्रौद्योगिकी मंच होगी जिसमें जियोस्पेशियल आंकड़ों के आधार पर अनुप्रयोग तैयार किए जाएंगे जिसमें ई-गवर्नेंस से जियोस्पेशियल गवर्नेंस में परिवर्तन किया जा सके। देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ एससीएसपी और टीएसपी के लिए भी निधियां रखी गई हैं।

अन्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का आयोजना परिव्यय 2013.00 करोड़ रुपये है जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) को 1898.00 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान शामिल है। आयोजना कार्यकलाप दस स्कीमों के माध्यम से चलाए जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से 6 वर्तमान स्कीमें है और चार नई स्कीमें हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं: राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं; राष्ट्रीय एस एंड टी मानव संसाधन विकास; बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन; आर एंड डी प्रबंधन सहायता; नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल; नवाचार कॉम्पलेक्स; सीएसआईआर 800 योजना; मुक्त नवाचार हेतु सीएसआईआर योजना; समावेशी, भागीदारी और सहयोगी अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय सिविल वायुयान विकास।

बारहवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय प्रयोगशाला स्कीम (वर्तमान में चल रही) के अंतर्गत पांच नए संस्थान वास्तविक मोड़ में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप जैविक, रसायनिक, इंजीनियरी, सूचना और भौतिक विज्ञान में किए जाएंगे, ग्यारहवीं योजना की वचनबद्धताओं का समर्थन करना; उत्पाद/प्रक्रिया विकास को मापना और उसे वैध कराना; सीएसआईआर आऊटरीच केंद्र आदि स्थापित करना।

विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की आयोजना गतिविधियां चार विभागीय योजनाओं के जरिए चलाई जाने के लिए प्रस्तावित हैं जो इस प्रकार हैं, (i) व्यक्तियों, स्टार्ट-अप्स और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (प्रिज्म) में नवाचार का संवर्धन, (ii) पेटेंट अभिग्रहण और सहयोगी अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास (पेस) और (iii) प्रौद्योगिकी विकास हेतु ज्ञान और प्रसार तक पहुंच (ए2के+) और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों संबंधी योजनाएं नामतः (i) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईल) और (ii) नेशनल रिसर्च विकास निगम (एनआरडीसी) और कंसलटेंसी विकास केन्द्र (सीडीसी/एक स्वायत्त संगठन है)।

जैव प्रौद्योगिकी: जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 2013-14 का परिव्यय 1485.00 करोड़ रुपये है। सिस्टम जीवविज्ञान, सिंथेटिक जीवविज्ञान, परिकलन विज्ञान, नैनो जैवप्रौद्योगिकी और अन्य उभरते क्षेत्रों में नेटवर्क परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रमुख पहलें भी स्थापित की जाएंगी। इस वर्ष के दौरान की जाने वाली प्रमुख पहलों में बुनियादी अनुसंधान से जुड़े अंतर-संस्थागत केंद्र स्थापित करना, कृषि/पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों और चिकित्सा महाविद्यालयों के संयुक्त प्रयास से कृषि और देखभाल में भागीदारी केंद्र स्थापित करना; कृषि उत्पादकता के बेहतर किस्मों के लिए आणविक प्रजनन, गर्भावस्था, शिशु जन्म और पोषहार के क्षेत्रों में महा चुनौती कार्यक्रम पृथक प्रबंधन और अभिशासन तंत्र के जरिए शुरु किया जाएगा। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम मजबूत किया जाएगा ताकि विदेशों में बसे वैज्ञानिकों को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालय में आकर काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। कौशल विकास और अध्यापक प्रशिक्षण केंद्र को सहायता दी जाएगी। जैवप्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को सेक्शन 25 कंपनी के तौर पर प्रचालित करना कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें इग्नीशन ग्रांट स्कीम, विश्वविद्यालय-उद्योग इंक्यूवेटर्स और सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। नए संस्थानों के मुख्य परिसरों में भवन निर्माण गतिविधियों को लक्ष्यों के अनुरूप पूरा किया जाएगा। सरकारी निजी भागीदारी स्कीमों जैसेकि लघु कारोबार नवाचार अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) और जैवप्रौद्योगिकी औद्योगिक भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) को कार्यान्वयन हेतु पुनःतैयार किया जाएगा। अनुसंधान संसाधन जैसे विनियामक जांच सुविधा नॉक आउट एनिमल हाउस और बड़े पशु की सुविधाएं, ट्रांसलेशन प्लेटफार्म और कृषि स्वास्थ्य देखभाल उद्योग और अकादमियों को सेवा देने हेतु स्थापित किए जाएंगे।

भेषजः इस विभाग का परिव्यय 188.00 करोड़ रुपये है जिसमें राष्ट्रीय भेषण शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, (निपेर), मोहाली और कोलकाता, अहमदाबाद, रायबरेली, हैदराबाद, हाजीपुर और गुवाहाटी में निपेर जैसे नए संस्थान स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता के अलावा जन औषधि योजना और गुवाहाटी के लिए भी प्रावधान किया गया है।

पर्यटनः पर्यटन मंत्रालय का परिव्यय 1282.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 129.00 करोड़ रुपए शामिल है। योजनाओं के लिए कुल परिव्यय गंतव्य स्थलों तथा सर्किटों के उत्पाद/अवसंरचना विकास, हेतु राजस्व सृजन करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार, बाजार विकास सहायता सहित समुद्रपारीय संवर्धन और प्रचार, होटल प्रबन्धन संस्थानों/पाक कला उद्योग को सहायता, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण, आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन, 20 वर्ष की परिदृश्य योजना सहित बाजार अनुसंधान, कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेन्सियों को सहायता तथा होटलों के लिए भूमि बैंक की स्थापना की स्कीमों के लिए है।

विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धनः 2013-14 में वाणिज्य विभाग के लिए 2,226.00 करोड़ रुपए का परिव्यय है जिसमें 800.00 करोड़ रुपये का प्रावधान निर्यात संबद्ध अवसंरचना के विकास हेतु (100.00 करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु, और एससीएसपी के 60.00 करोड़ रुपये के लिए है); कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण हेतु (180.00 करोड़ रुपए); विभिन्न बागान वोर्डों जैसे चाय, कॉफी, रबड़ तथा मसाला बोर्डों हेतु 575.00 करोड़ रुपए, समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात हेतु 115.00 करोड़ रुपए, निरंतर आधार पर भारत के निर्यात के संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए बाजार पहुंच पहल कार्यक्रम हेतु (180.00 करोड़ रुपए), निर्यात ऋण गारंटी निगम में निवेश (100.00 करोड़ रुपए) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, भेषज क्षेत्र, चर्म और चर्मात्पाद क्षेत्र, चाय बोर्ड और रबड़ बोर्ड, डीजीएफटी के तहत नई योजनाओं के लिए (122.00 करोड़ रुपए) है। 63.00 करोड़ रुपए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय

पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए, राष्ट्रीय निर्यात बीमा क्षेत्र के लिए 30.00 करोड़ रुपए; निर्यात निरीक्षण परिषद के लिए 8.00 करोड़ रुपए; विश्व व्यापार संगठन अध्ययन हेतु केन्द्र के लिए 8.00 करोड़ रुपए; डीजीएस एंड डी में कम्प्यूटरीकरण हेतु 25.00 करोड़ रुपए और सचिवालय आर्थिक सेवाओं के लिए 4.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

कारपोरेट कार्य: वर्ष 2013-14 हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 34.00 करोड़ रुपए है। यह राशि भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के लिए रखी गई है और ग्यारहवीं योजना से बारहवीं योजना में समान रूप से जारी है। इस संस्थान की स्थापना संपूर्ण रूप से विचारक मंडल निर्माण, क्षमता निर्माण, सेवा सुपुर्दगी के उद्देश्य से रखी गई है जिससे कि कॉरपोरेट विकास, सहक्रिया युक्त ज्ञान प्रबंधन के जरिए सुधार, भागीदारी और वन स्टॉप मोड में समस्या का निवारण किया जा सके। 12वीं योजना के लिए आईआईसीए के लिए 110.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

वित्तीय सेवाएं: 2013-14 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूंजीकरण हेतु 15,888.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

विदेश मंत्रालय: विदेश मंत्रालय के लिए परिव्यय 3000.00 करोड़ रुपए है। यह प्रावधान मुख्यतः पड़ोसी देशों को भारत के द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम की दिशा में अन्य देशों के साथ तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग स्थापित करने के लिए किया गया है। ये परियोजनाएं भूटान, म्यांमार तथा अफगानिस्तान में स्थित हैं। बिहार सरकार द्वारा नालंदा में दिए गए स्थान पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का भी निर्माण कार्य चल रहा है। यह विश्वविद्यालय अकादमिक उत्कृष्टता के अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रुप में स्थापित किया जाएगा।

सामाजिक सेवाएं

सामान्य शिक्षा: सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रमों के प्रति सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 49659.00 करोड़ रुपए और उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 16210.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 12.00 करोड़ रुपये निर्माण कार्य परिव्यय के लिए है। इसमें प्रारम्भिक शिक्षा कोष में जमा किए जाने वाले शिक्षा उपकर से प्राप्तियों के रूप में 24429.00 करोड़ रुपए की अनुमानित प्राप्तियां शामिल हैं। प्रारम्भिक शिक्षा कोष के अंतर्गत निधियां मुख्यतया सर्वशिक्षा अभियान और मध्याहन भोजन योजना के लिए उपयोग में लाई जाएंगी।

सर्व शिक्षा अभियान : सर्वशिक्षा अभियान केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच कार्यान्वित किया जा रहा है जिसे सभी को बुनियादी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में पहुंच, समानता, स्कूल में बने रहने और गुणवत्ता, की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े खण्डों में लिंग समानता को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका शिक्षा पर फोकस करने वाले दो अतिरिक्त संघटक हैं : राष्ट्रीय बालिका प्राथमिक शिक्षा स्तर कार्यक्रम तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 27,258.00 करोड़ रुपए का परिव्यय सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 2,725.80 करोड़ रुपए शामिल हैं।

मध्याह्न भोजन योजना: प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध राष्ट्रीय पोषाहार समर्थन कार्यक्रम, जिसे लोकप्रिय रूप से मध्याह्न भोजन योजना के रूप में जाना जाता है, प्राथमिक और प्राथमिक उच्च स्तर के बच्चों के लिए विश्व के सबसे बड़े भोजन कार्यक्रम के रूप में उभरा है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त सफलता को देखते हुए इस योजना का विस्तार 1 अक्तूबर, 2007 से 3,479 शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंडों में उच्च प्राथमिक स्तर पर किया गया है। वर्ष 2008-09 से इस कार्यक्रम में देश के सभी क्षेत्रों में उच्च प्रारम्भिक स्तर के बच्चों (कक्षा I से VIII तक) को शामिल किया जाता है। इस योजना हेतु परिव्यय 13,215.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लिए 1,321.50 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।

माध्यमिक शिक्षा: माध्यमिक शिक्षा के लिए 7,710.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 707.89 करोड़ रुपए भी शामिल है। इस आबंटन में अन्य के साथ-साथ नवोदय विद्यालय समिति के लिए 1250.00 करोड़ रुपए (125.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए 350.00 करोड़ रुपए (35.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए शामिल है) का आबंटन शामिल है। सर्वशिक्षा अभियान की सफलता और माध्यमिक शिक्षा के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उच्चतर प्राथमिक स्तर को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए 3,983.00 करोड़ रुपए के प्रावधान (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 335.80 करोड़ रुपए शामिल हैं) से एक प्रमुख नीतिगत कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना मंजूर की गई है। उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रुप में प्रखंड स्तर पर 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की स्कीमों के लिए 1000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 100.00 करोड़ रुपए सहित) किया गया है। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन के लिए 450.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 45.00 करोड़ रुपए सहित) उपलब्ध कराए गए हैं। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत कक्षा IX से XII में छात्रों के लिए 1,00,000 छात्रवृत्तियां संवतिरित करने हेतु 70.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

प्रौढ़ शिक्षा - प्रौढ़ शिक्षा के लिए 683.00 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 68.30 करोड़ रुपए शामिल है। इस आवंटन में अन्य के साथ-साथ साक्षर भारत के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए 572.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 57.20 करोड़ रुपए सहित) शामिल है।

उच्चतर शिक्षा - उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 16,210.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस धनराशि में विभिन्न उच्चतर और तकनीकी संस्थाओं के लिए प्रावधान शामिल है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 5,769.00 करोड़ रुपए का आबंटन प्रदान किया गया है जिसमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों के लिए आबंटन शामिल है। "आईसीटी के माध्यम से शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मिशन" के लिए 400.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 60.00 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी रहा है, के लिए 125.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10.50 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान रखा गया है।

तकनीकी शिक्षा: 7,299.00 करोड़ रुपए का प्रावधान (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 780.85 करोड़ रुपए सहित) है और इसमें आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम आदि के लिए सहायता शामिल है इसमें से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 2400.00 करोड़ रुपए (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 180.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए 1300.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 390.00 करोड़ रुपए) जिसमें नए संस्थान भी शामिल हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान हेतु 859.50 करोड़ रुपए (जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर शामिल है) की व्यवस्था की गयी है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में चालू विभिन्न योजनाओं के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त, राज्यों में पालीटेक्नीकों के लिए 700.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, आईआईएस (नए आईआईएम सहित) के लिए 350.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

खेलकूद और युवा सेवाएं: युवा कार्य और खेल मंत्रालय के लिए आयोजना परिव्यय 809.00 करोड़ रुपए है। युवा कार्य के क्षेत्र में प्रावधान मुख्यतया राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय युवा कोर और युवा और किशोरों के विकास और अधिकारिता के लिए है। खेल के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान के लिए अधिक आवंटन रखे गए हैं और राष्ट्रीय खेल संघ और शहरी क्षेत्रों में शहरी खेल अवसंरचना को सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, खिलाडियों को प्रोत्साहन योजना के तहत होनहार खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और पेंशन हेतु भी प्रावधान किया गया है।

कला और संस्कृति: वर्ष 2013-14 में संस्कृति मंत्रालय के लिए 1,435.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, एसियाटिक सोसाइटी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र, नृत्य, नाटक तथा थिएटर समूह को सहायता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, विज्ञान नगरों, नेहरु स्मारक

संग्रहालय तथा पुस्तकालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन, शतवार्षिकियों और जन्मोत्सव समारोह तथा अन्य चालू एवं नई स्कीमों और कार्यक्रमों आदि के लिए प्रावधान रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय के संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की भवन परियोजनाओं के लिए 39.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। पूर्वोत्तर तथा सिक्किम हेतु 143.50 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गयी है। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों/योजनाओं हेतु टीएसपी के लिए 28.70 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है।

चिकित्सा और जन स्वास्थ्यः वर्ष 2013-14 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का योजना परिव्यय 29,165.00 करोड़ रुपए है (स्वास्थ्य 8,166.00 करोड़ रुपए और एनएचएम 20,999.00 करोड़ रुपए), जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ के लिए 2,916.50 करोड़ रुपए शामिल हैं।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) स्कीम का उद्देश्य नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा सरकारी चिकित्सा कॉलेज संस्थानों के उन्नयन की परिकल्पना है। 2013-14 के दौरान इस योजना के लिए 1,975.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रणाली हेतु नर्सों पर विशेष ध्यान देने के साथ मानव संसाधनों की अतिरिक्त आवश्यकताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जोड़ा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान इस योजना हेतु 1,151.65 करोड़ रुपए का परिव्यय है। कैंसर और असामान्य गैर-संचारी रोगों के रोकथाम योग्य सामान्य जोखिम कारकों को देखते हुए मंत्रालय ने राष्ट्रीय केंसर नियत्रंण कार्यक्रम को इसके साथ एकीकृत करने के बाद राष्ट्रीय केंसर, मधुमेह, ह्रदयाघात और पक्षाघात की रोकथाम और नियन्त्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) तैयार किया है। इस कार्यक्रम में इष्टतम प्रचालनात्मक सहक्रियाओं हेतु विभिन्न स्तरों पर असंचारी रोग प्रकोष्ठों के माध्यम से मानव संसाधन, शीघ्र निदान और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के एकीकरण सहित स्वास्थ्य संवर्धन और रोकथाम अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। वर्ष 2013-14 के दौरान योजना हेतु परिव्यय 365.00 करोड़ रुपए है।

कुछ अन्य कतिपय स्वास्थ्य योजनाएं हैं, जैसे, निरीक्षण समिति, बुजुर्ग व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और एनसीडीसी की मौजूदा शाखाओं का सुदृढ़ीकरण और 27 शाखाओं की स्थापना, जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के अंतरक्षेत्रीय समन्वयन का सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य बीमा, वायरल हेपटाइटिस आदि का समन्वयन।

अप्रैल, 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत के साथ ही, मिशन सभी को साम्यतापूर्ण, किफायती और गुणपत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा अनुकूल हो उपबन्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। बाल और मातृत्व मृत्युदर में कमी लाने तथा जनसंख्या में स्थिरता लाने हेतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, टीकाकरण में तेजी लाई गई है। मानव संसाधन विकास तथा डाक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की प्रशिक्षण पूरे जोरों से शुरू किया गया है। सभी राज्यों ने मिशन को कार्यान्वित किया है और सभी स्तरों पर समर्थन के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली में नई जान फूंकी जा रही है। प्रत्येक गांव में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करके, बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या को, स्वास्थ्य शिक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देकर, कमजोर तबकों के और निकट लाया गया है। एनएचएम के तहत कतिपय नए लोचनीय पूल आरंभ किए जा रहे हैं, जैसे, एनआरएचएम-आरसीएच लोचनीय पूल, संचारी रोगों के लिए लोचनीय पूल, असंचारी रोगों के लिए लोचनीय पूल, चोट एवं आघात, अवसंरचना का रखरखाव, तथा पुनर्व्यवस्थित मौजूदा योजनाएं और कतिपय नई योजनाएं।

स्वास्थ्य अनुसंधानः स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का आयोजना परिव्यय 726.00 करोड़ रुपए है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम की योजनाओं/परियोजनाओं के लाभ हेतु 72.60 करोड़ रुपए शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जो एक शीर्ष निकाय है, जिसे जैव-चिकित्सीय और स्वास्थ्य अनुसंधान के संवर्धन, समन्वयन और तैयार करने हेतु अधिदेश प्राप्त है, को केन्द्र सरकार से स्वास्थ्य-पोषण, असंचारी रोग में अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान के लिए रखरखाव अनुदान प्राप्त होता है। परिषद जनजातीय स्वास्थ्य, पारंपरिक दवाइयां और सूचना के प्रकाशन और प्रसार में भी कार्यरत है।

एड्स नियंत्रण विभाग : एड्स नियंत्रण विभाग 100% केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका लक्ष्य बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार के कार्यक्रमों को एकीकृत करके देश में एचआईवी महामारी को रोकना व इसे उखाड़ फेंकना है। वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित परिव्यय 1,785.00 करोड़ रुपए है।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष): आयुष का उद्देश्य संगठित व वैज्ञानिक तरीके से भारतीय दवा प्रणालियों का विकास व संवर्धन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग ने अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें कार्यान्वित की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय में आयुष प्रणालियों को शामिल करके समेकन से उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) का भाग बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। 2013-14 के लिए आयुष के लिए कुल परिव्यय 1069.00 करोड़ रुपए है।

महिला और बाल विकासः महिला और बाल विकास मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 20350.00 करोड़ रुपए है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए 2035.00 करोड़ रुपए शामिल हैं। मंत्रालय की फ्लैगशिप योजना समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) हेतु आवंटन बढ़ाकर 2013-14 में 17,700.00 करोड़ रुपये किया गया है। इस स्कीम में छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व उपचाराधीन माताओं के स्वास्थ्य, पोषाहार व शैक्षिक सेवाओं के एकीकृत पैकेज की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। इस पैकेज में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य परीक्षण, रेफरल सेवाएं, पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। स्कीम को व्यापक बनाने के लिए सरकार ने मांग पर 20,000 आंगनवाड़ी सहित 7076 परियोजनाओं की संचयी संख्या और 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र/मिनी आगंनवाड़ी केंद्र अनुमोदित किए हैं।

कठिन परिस्थितियों में बच्चों की भलाई में सुधार तथा ऐसी स्थितियों और कार्यों, जिनकी वजह से दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग और पृथवकीकरण होता है, की संवेदनशीलताओं में कमी लाने के लिए "एकीकृत बाल संरक्षण योजना" आशयित है। इसके अतिरिक्त हाल ही में दो नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात् राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना (सबला) और इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आईजीएमएसवाई) भी क्रियान्वयनाधीन हैं। सबला किशोरियों (11-18 वर्ष) की बहु-आयामी समस्याओं का निराकरण करने की योजना है। यह आरंभ में, प्रायोगिक तौर पर, देश के विभिन्न 205 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। आईजीएमएसवाई जो एक सशर्त मातृत्व लाभ योजना है यह विद्यमान आईसीडीएस कार्यक्रम का ढांचा प्रयोग करते हुए देश के चुनिंदा 53 जिलों में प्रायोगिक हस्तक्षेप है। यह महिलाओं को गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवधि के दौरान मजदूरी की हानि की आंशिक प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराने हेतु सशर्त नकदी अंतरण के रूप में एक निवारात्मक उपाय है।

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, कुपोषण के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान, चुनिंदा 200 उच्च भार ग्रस्त जिलों में मातृत्व और बाल पोषाहार का समाधान करेगा और राज्य, जिला, ब्लाक और ग्राम स्तरों पर सुदृढ़ संस्थागत और कार्यक्रम मिलाकर विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को इकट्ठा करने का प्रस्ताव है।

महिला और बाल विकास मंत्रालय की अन्य महत्वपूर्ण महिला अधिकारिता योजनाओं में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण, प्रशिक्षण और रोजगार में सहायता कार्यक्रम (स्टंप), प्रियदर्शिनी योजना, "स्वाधार, राष्ट्रीय महिला कोष की लघु ऋण योजना जैसी पुनर्वास और सहायता योजनाएं आदि हैं। मंत्रालय "उज्जवला" योजना कार्यान्वित कर रहा है। जिसमें वाणिज्यिक यौन शोषण हेतु अनैतिक देह व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और परिवार/समुदाय से पुनर्मिलन हेतु सहायता दी जाती है।

जलापूर्ति एवं स्वच्छताः राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम और "भारत निर्माण" का एक घटक है, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों और परिवारों को हैंडपंपों, पाइप द्वारा जलापूर्ति योजनाओं आदि के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेय जलापूर्ति

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के तहत, देश के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित घटकों के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैः (i) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में बस्तियों की कवरेज, (ii) ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज, (iii) स्रोत और प्रणाली सुस्थिरता उपाय शुरू करना, (iv) मौजूदा जलापूर्ति योजनाओं का प्रचालन और अनुरक्षण और (v) जल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी और (vi) आईईसी, प्रशिक्षण, एमआईएस, कम्प्यूटरीकरण, अनुसंधान और विकास आदि, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जिन्हें 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है, केन्द्र और राज्यों के बीच कवरेज, गुणवत्ता और प्रचालन व अनुरक्षण के घटकों के लिए 50:50 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाती है। सुस्थिरता और सहायता घटकों को केन्द्र सरकार द्वारा शत-प्रतिशत आधार पर निधिपोषित किया जाता है। दिनांक 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार देशभर में 16.66 लाख ग्रामीण बस्तियों में से 12.31 लाख बस्तियां स्वच्छ और समुचित पेयजल आपूर्ति से पूरी तरह कवर की गई है। 2013-14 के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी और ग्रामीण जलापूर्ति सेक्टर के लिए 11,000.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 1100.00 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटन का 22 प्रतिशत और 10 प्रतिशत क्रमशः अनुसूचित जाति उप-योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना पर व्यय को पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया है। 2013-14 के दौरान, जोर ग्रामीण लोगों को पाइपयुक्त जलापूर्ति योजनाओं में कवरेज, चल रही योजनाओं को पूर्ण करना, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की कवरेज को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से पानी की तंगी वाले खंडों में निरन्तरता घटक के लिए विशेष योजना बनाना और प्रोत्साहन निधियों का प्रभावी रूप से प्रयोग करना ताकि जलापूर्ति योजनाओं के प्रबंधन के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके।

निर्मल भारत अभियान (एनबीए): ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की प्रगति को गति देने के लिए भारत सरकार ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान में एक उदाहरणार्थ बदलाव की संकल्पना की है जिसे बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जाना जाता है। नई कार्ययोजना सामुदायिक संतृप्ति दृष्टिकोण अपनाकर ग्रामीण भारत को "निर्मल भारत" में बदलना है। अलग-अलग परिवारों की शौचालय इकाइयों हेतु प्रोत्साहन के प्रावधान को सभी अ.जा., अ.ज.जा., छोटे और सीमांत किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन श्रमिकों, विकलांगों और सभी बीपीएल परिवारों सहित महिला मुखिया वाले परिवारों को कवर करने के लिए व्यापक बनाया गया है। निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों हेतु स्वच्छता की पहुंच का शत प्रतिशत प्राप्त करना है।

निर्मल भारत अभियान में सम्पूर्ण ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 607 जिले शामिल हैं, जिनके लिए 2013-14 हेतु 4260 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें पूर्वोत्तर भारत और सिक्किम के लिए 426.00 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त, क्रमशः अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति योजना संबंधी व्यय पूरा करने के लिए कुल आवंटन का 22% और 10% अलग से रखा गया है।

आवास

ग्रामीण आवासः वर्ष 2013-14 के लिए ग्रामीण आवास के लिये परिव्यय 15,184.00 करोड़ रुपए है जिसमें 1518.00 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के रखे गए हैं।

इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य प्राथमिक तौर पर आवासीय यूनिटों के निर्माण में सहायता करना और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के ग्रामीण गरीबों के विद्यमान अनुपयोगी कच्चे मकानों के लिए सहायता देकर उन्हें पक्का करना है। वर्ष 1995-96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के किसी कार्रवाई में मारे गए सदस्यों के परिवारों तक विस्तारित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, न्यूनतम 60 प्रतिशत निधियां अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों की सहायता के लिए और 3 प्रतिशत विकलागों और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के हितों के लिए आरक्षित की गई हैं। इंदिरा आवास योजना की निधियों और भौतिक लक्ष्य का 15 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रखा गया है।

ये आश्रय इकाइयां अनिवार्य रूप से लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम में आवंटित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से यह पति और पत्नी दोनों के नाम में आवंटित हो सकती है। यदि परिवार में को पात्र महिला न हो मकान पुरुष सदस्य के नाम आवंटित हो सकता है।

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता 1 अप्रैल, 2013 से बढ़ाकर मैदानी क्षेत्रों के लिए 70,000 रुपए और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 75,000 रुपए होगी। तदन्तर, 48,500 रुपए प्रति घर का निधिपोषण 82 वामपंथी चरमपंथ प्रभावित जिलों/आईएपी जिलों में भी लागू किया गया है। इंदिरा आवास योजना के वार्षिक आवंटन का 20% तक कच्चे मकानों के उन्नयन और/अथवा ऋण-सह-सब्सिडी योजना हेतु खर्च किया जा सकता है। इंदिरा आवास योजना के मकानों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के अतिरिक्त 4% की ब्याज दर पर प्रति यूनिट 20,000 रुपए तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा उधार हेतु विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। उन्नयन हेतु 15,000 रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं और ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत 32,000 रुपए की वार्षिक आय से अनधिक वाले परिवारों को 12,500 रुपए की सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। वे मकान के निर्माण हेतु बैंकों से 50,000 रुपए तक का ऋण भी ले सकते हैं। इस निधिपोषण को केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के मामले में निधियां 90:10 के अनुपात में बांटी जाती है। संघ राज्यों के मामले में समूची निधियों की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है। इंदिरा आवास योजना के भाग के रूप में अगस्त 2009 से उन ग्रामीण बीपीएल परिवारों, जिनके पास मकान बनाने के प्रयोजनार्थ भूमि/स्थान नहीं है, कि लिए मकानों के निर्माण हेतु मकान-स्थल/वासभूमि प्लाटों हेतु प्रत्येक लाभार्थी को 10,000 रूपए के निधिपोषण का प्रावधान किया गया है। इस निधिपोषण को केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में बांटा जाना है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईएवाई लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इन्दिरा आवास योजना को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), पेय जलापूर्ति (डीडब्ल्यूएस), आम आदमी बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरजीए) के साथ अभिसारित कर दिया गया है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों का पांच प्रतिशत प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों जैसे दंगे, आगजनी, आग और आपवादिक परिस्थितियों आदि में पुनर्वास के लिए उत्पन्न होने वाली आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए अलग से रखा जाता है। कोई जिला इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उस राज्य के आवंटन के 10% की उच्चतम सीमा के अध्यधीन उस जिले के आवंटन का 50% ले सकता है। पहली अप्रैल 2013 से प्रभावी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के निर्मल भारत अभियान से इंदिरा आवास योजना के मकान हेतु प्रति शौचालय 9,000 रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए जाएंगे। प्रशासनिक खर्चों हेतु भी 4% निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

शहरी विकासः इस क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 10,021.12 करोड़ रुपए है जिसमें 2,565.12 करोड़ रुपए के आं.ब.बा.सं. शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लिए यह प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतुलित और समान विकास का उद्देश्य प्राप्त करने और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली पर जनसंख्या का दबाव कम करने और अन्य शहरी विकास स्कीमों अर्थात् सेटेलाइट शहरों/काउंटर मैगनेट शहरों में शहरी अवसंरचना का विकास पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 10% एक मुश्त प्रावधान, राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली, सामुहिक वित्त विकास निधि, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना में अनुसंधान और शहरी क्षेत्र में क्षमता निर्माण राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान और सामान्य पूल रिहायशी और गैर रिहायशी आवास, सामान्य पूल कार्यालय स्थान के लिए किया गया है। इसमें जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के प्रशासनिक खर्चों के अंतर्गत शहर की विकास परियोजना बनाने, व्यापक परियोजना रिपोर्टें बनाने और तकनीकी सेमिनार, संगोष्ठियां और परामर्श सेवाओं, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए स्कीमें और मध्यवर्ती जन परिवहन सहित प्रायोगिक परियोजनाएं, मोटर भिन्न परिवहन के लिए प्रावधान शामिल किया गया है। इस प्रावधान में दिल्ली मेट्रो रेल निगम, बंगलौर,

कोलकात्ता, चेन्नई, कोच्ची, जयपुर, मुम्बई और अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं में इक्विटी निवेश, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जीका) से ऋण, अनुदान और अधीनस्थ ऋण शामिल हैं। नई स्कीमें नामतः अहमदाबाद और पुणे मेट्रो रेल परियोजनाओं को भी वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू किया जा रहा है।

सूचना, प्रचार और प्रसारणः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 1105.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आं.व.बा.सं. शामिल है। इसमें 235 करोड़ रुपए सूचना क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र के लिए 126.00 करोड़ रुपये और प्रसारण क्षेत्र के लिए 744.00 करोड़ रुपए हैं। प्रसार भारती के लिए आयोजना आवंटन 714.00 करोड़ रुपये है जिसमें 200.00 करोड़ रुपये के आं.ब.बा.सं. हैं। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलाप शुरु करने के लिए 90.50 करोड़ रुपये अलग से भी रखे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र; पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर परिषद की अपनी स्कीमों और संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल के माध्यम से सड़क और पुल, विद्युत, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकूद, जलापूर्ति, मृदा-क्षरण रोकने आदि क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की सहायता करता है। पूर्वोत्तर परिषद की व्यापक स्कीमों की सहायता करने के लिए 770.00 करोड़ रुपए और एनएलसीपीआर के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंचरना में बड़े अंतरों को पाटने के लिए 950 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सूक्ष्म वित्त बढ़ाने और लघु क्षेत्रों की सहायता करने के लिए पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को 60 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहनीय बिजली के लिए ट्यूरिलय हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को 62.00 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। अवसंरचना सुविधाएं सृजित करने व उनके उन्नयन हेतु सामाजिक और अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 170.00 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

कल्याण

अनुसूचित जातियों का कल्याणः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिये 6,625.00 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 290.90 करोड़ रुपए सहित)। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 6,065.00 करोड़ रुपए और अशक्त मामले विभाग के लिए 560.00 करोड़ रुपए के आवंटन शामिल हैं। अनुसूचित जाति उप-आयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के लिए आवंटन (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 21.00 करोड़ रुपये सहित 1051.00 करोड़ रुपए) का प्रावधान किया गया है। इस योजना से संभवतः लगभग 10.51 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ होगा। अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 1500.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 30 करोड़ रुपए सहित) का प्रावधान हैं। संभवतः इससे लगभग 55 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 90 करोड़ रुपए सहित 900 करोड़ रुपए) में संभवतः लगभग 25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना में संभवतः लगभग 25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 15 करोड़ रुपए सहित 150 करोड़ रुपए)।

जनजातीय मामलेः केंद्रीय क्षेत्र आयोजना के अंतर्गत 1762.00 करोड़ रूपए के आवंटन में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक, और योग्यता के संवर्धन (750.00 करोड़ रुपए) अ.ज.जा. के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना (212.19 करोड़ रुपये) प्रशिक्षण और संबद्ध स्कीमों सहित अ.ज.जा. के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए ईनाम (60 करोड़ रुपए) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण (40 करोड़ रुपए), विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीटीजी) (244 करोड़ रुपए), लघु वन उत्पाद हेतु राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान (20.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उत्पादों/उपज के विपणन विकास (34.31 करोड़ रुपए), अनुसूचित जनजाति की लड़कियों व लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण (125.00 करोड़ रुपए), जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों (9.00 करोड़ रुपए), जनजातीय उप-आयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना (75 करोड़ रुपए) तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप (90.00 करोड़ रुपए), उत्कृष्ट संस्थान/उत्कृष्ट शिक्षा (13.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना (1.00 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम को सहायता (70.00 करोड़ रुपए) और अनुसंधान सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव और अन्य (18.50 करोड़ रुपए) के लिए प्रावधान शामिल हैं।

अल्पसंख्यकः अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का आयोजना परिव्यय 3511.00 करोड़ रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 346.00 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित) है। इस परिव्यय में 17 योजनाएं शामिल हैं यथा, मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन को सहायता-अनुदान, अल्पसंख्यकों के लिए मुफ्त कोचिंग और संबद्ध स्कीमें, अनुसंधान/अध्ययन, अल्पसंख्यकों के लिए प्रचार सहित विकास स्कीमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन, स्नातक और स्नात्तकोत्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु मेरिट-सह-साधन छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशीप, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगी राज्य चेनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता-अनुदान, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास की योजना, राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण, विदेशों में विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋणों संबंधी ब्याज सब्सिडी, छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की गिरती हुई जनसंख्या को रोकने की योजना, एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान, कौशल विकास पहलें और सं.लो.से.आ./क.च.आ./राज्यों के लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर विद्यार्थियों को सहायता आदि है।

श्रम और रोजगारः श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए सकल आधार पर 2524.00 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय है। इसमें रोजगार व श्रमिक प्रशिक्षण, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने की स्थितियां सुधारने व बाल/महिला श्रमिकों की सुरक्षा पर बल दिया गया है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास, अजा/अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, एससीएसपी, टीएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की स्कीमों के लिए भी प्रावधान किया गया है।

सामान्य सेवाएं

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयनः वर्ष 2013-14 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 631.00 करोड़ रुपए है जिसमें 63.10 करोड़ रुपए का विदेशी सहायता घटक शामिल है। मंत्रालय 2013-14 के दौरान एक सांवधिक योजना संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) के अतिरिक्त 6 आयोजना योजनाएं क्रियान्वित करेगाः (i) क्षमता विकास; (ii) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान, (iii) परियोजनाओं और कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, मानीटरिंग और मूल्यांकन (iv) आर्थिक जनगणना (v) भारतीय सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना और (vi) स्थानीय स्तर विकास हेतु मूल सांख्यिकी। आयोजना स्कीमों के मुख्य उद्देश्य देश की सांख्यिकीय प्रणाली को सुदृढ़ करना है ताकि न्यूनतम समय अंतराल और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बेहतर नीति और योजना निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु आंकड़ों में अन्तरालों को पाटने सहित सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ आंकड़ों की समय पर उपलब्धता बीस सूत्रीय कार्यक्रम, अवसंरचना क्षेत्रों का निष्पादन, 150.00 करोड़ रुपये और उससे ऊपर की केंद्रीय परियोजनाओं का अनुवीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

योजनाः भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपे गए विशिष्ट पहचान के कार्य के कार्यान्वयन हेतु 2013-14 के लिए 2620.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली को प्रत्येक योजना स्कीम के अंतर्गत व्यय, परिणाम और प्रयुक्त की गई राशि संबंधी राज्यवार/जिलावार रिपोर्ट बनाने सहित व्यय पर नजर रखने व सूचना देने हेतु समुचित प्रबंध सूचना प्रणालीय/निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने के लिए 253.99 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।

न्याय प्रशासनः विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का आयोजना परिव्यय 1103.00 करोड़ रुपये है, इसमें से 44.00 करोड़ रुपये न्याय प्रदाय और विधायी सुधारों हेतु राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों के लिए है अर्थात राष्ट्रीय मिशन-कार्य योजना कार्यान्वयन (5.00 करोड़ रुपये), माडल न्यायालयों की स्थापना (26.00 करोड़ रुपये), न्याय तक पहुंच - भारत सरकार (5.00 करोड़ रुपए), देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण के लिए 118.00 करोड़ रुपये और न्यायपालिका (क्षमता निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं) हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु 911.00 करोड़ रुपये, ग्राम न्यायालयों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता हेतु 25.00 करोड़ रुपये और 5.00 करोड़ रुपये भारत में हाशिए पर रह रहे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच (विदेशी सहायता प्राप्त कार्यक्रम) के लिए रखे गए हैं।